वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली.110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

सा०/No. : 5-1(49)/2008-PD दिनांक/Dated: 14.03.2023

प्रेषक / From : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

महोदया/Madam / महोदय/Sir,

मुझे भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापनों को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Office Memoranda issued by the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Pension and Pensioners' Welfare for your information, guidance and compliance:

क्रम संख्या/ Sr.No.	**कार्यालय ज्ञापन संख्या./ Office Memorandum No.**	**विषय/ Subject**
1	कार्यालय ज्ञापन संख्या. 28/90/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8297 दिनांक 02.10.2022 OM No. 28/90/2022-P&PW(B)/8297 Dated 02.10.2022	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सिविल नियोजन से पूर्व की गई सैन्य सेवा की गणना । Counting of military service rendered before civil employment under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.
2	कार्यालय ज्ञापन संख्या. 28/90/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8297 दिनांक 02.10.2022 OM No. 28/90/2022-P&PW(B)/8297 Dated 02.10.2022	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या संयुक्त राष्ट्र के अन्य किन्ही निकायों या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पुनर्निर्माण और विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि की अर्हक सेवा के रूप में गणना से संबंधित। Counting of period of deputation to the United Nations' Secretariat or other United Nations' Bodies or the International Monetary Fund or the International Bank of Reconstruction and

		Development or the Asian Development Bank or theCommonwealth Secretariat or any other International organization as qualifying service under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.
3	कार्यालय ज्ञापन संख्या. 38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए) दिनांक 10.10.2022 OM No. 38/01(05)/2022-P&PW(A) dated 10.10.2022	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के लागू होने से संबंधित उपबंध । Provisions regarding applicability of Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.
4	कार्यालय ज्ञापन संख्या. 38/01(05)/2022 पी&पीडब्ल्यू(ए) दिनांक 10.10.2022 OM No. 38/01(05)/2022-P&PW(A) dated 10.10.2022	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सेवानिवृति/सेवा से पदत्याग/मृत्यु की तारीख को कार्यदिवस मानने या अन्यथा के संबंध में उपबंध । Provisions regarding treatment of the day of retirement/ resignation/deathunder the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.
5	कार्यालय ज्ञापन संख्या. 38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए) दिनांक 10.10.2022 OM No. 38/01(05)/2022-P&PW(A) dated 10.10.2022	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय पेंशनों और उपादानों की संख्याओं की परिसीमाओं से संबंधित उपबंध । Provisions regarding limitations on number of pensions and gratuities admissible to a government servant under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.
6	कार्यालय ज्ञापन संख्या. 38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए) दिनांक 10.10.2022 OM No. 38/01(05)/2022-P&PW(A) dated 10.10.2022	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी गंभीर उपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाने पर या किसी गंभीर अवचार का दोषी पाए जाने पर पेंशन/कुटुंब पेंशन को रोकने या प्रत्याहृत करने के संबंध में उपबंध । Provision regarding withholding or withdrawal of pension/family pension on being convicted of a serious crime or on being found guilty of grave misconduct, under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.
7	कार्यालय ज्ञापन संख्या. 38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए) दिनांक 10.10.2022	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन विभागीय/न्यायिक कार्यवाहियां लंबित

	OM No. 38/01(05)/2022-P&PW(A) dated 10.10.2022	होने के दौरान अनंतिम पेंशन की संस्वीकृति और उपदान रोकने के संबंध में उपबंध । Provision regarding sanction of provisional pension and withholding of gratuity during pendency of department/judicial proceedings under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.
8	कार्यालय ज्ञापन संख्या. 38/01(05)/2022-पी&पीडबल्यू(ए) दिनांक 10.10.2022 OM No.38/01(05)/2022-P&PW(A) dated 10.10.2022	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किए जाने पर अशक्त पेंशन की मंजूरी । Grant of invalid Pension under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 on retirement from government service on account of any bodily or mental infirmity.
9	कार्यालय ज्ञापन संख्या. 38/01(05)/2022-पी&पीडबल्यू(ए) दिनांक 10.10.2022 OM No. 38/01(05)/2022-P&PW(A) dated 10.10.2022	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन शास्ति के रूप में सेवा से अनिवार्य रूप से निवृत किए गए सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृति पेंशन की मंजूरी । Grant of compulsory retirement pension under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 to a Government servant who is compulsorily retired from service as a penalty.
10	कार्यालय ज्ञापन संख्या. 38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए) दिनांक 10.10.2022 OM No. 38/01(05)/2022-P&PW(A) dated 10.10.2022	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सेवा से पदच्युत किए गए या हटाए गए सरकारी कर्मचारी को अनुकंपा भत्ते की मंजूरी । Grant of Compassionate allowance under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 to a Government servant who is dismissed or removed from service.
11	कार्यालय ज्ञापन संख्या. 38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए) दिनांक 26.10.2022 OM No. 38/01(05)/2022-P&PW(A) dated 26.10.2022	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सेवाकाल के दौरान गंभीर अवचार या उपेक्षा का दोषी होने की दशा में पेंशन/उपदान को रोकने या प्रत्याहृत करने का अधिकार । Power to withhold or withdraw

		pension/gratuity in cases of grave misconduct or negligence during the period of service under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.
12	कार्यालय ज्ञापन संख्या. 38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए) दिनांक 26.10.2022 OM No. 38/01(05)/2022-P&PW(A) dated 26.10.2022	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन की मंजूरी के लिए रकम और शर्तें। Amount and conditions for grant of pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.
13	कार्यालय ज्ञापन संख्या. 38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए) दिनांक 26.10.2022 OM No. 38/01(05)/2022-P&PW(A) dated 26.10.2022	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन अतिरिक्त पेंशन और अतिरिक्त कुटुंब पेंशन की मंजूरी के लिए रकम और शर्तें । Amount and conditions for grant of additional pension and additional family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.
14	कार्यालय ज्ञापन संख्या. 1/1(1)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई) दिनांक 26.10.2022 OM No. 1/1(1)/2022-P&PW (E) dated 26.10.2022	कुटुंब का ऐसा सदस्य, जिसका नाम प्ररूप 4 या कार्यालय रिकार्ड में सम्मिलित नहीं है, को, कुटुंब पेंशन की मंजूरी । Grant of family pension to a member of the family, whose name is not included in Form 4 or office records.
15	कार्यालय ज्ञापन संख्या. 1/1(1)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई) दिनांक 26.10.2022 OM No. 1/1(1)/2022-P&PW (E) dated 26.10.2022	जहां प्रथम पात्र सदस्य सरकारी कर्मचारी की हत्या करने के अपराध या ऐसे किसी अपराध को करने के दुष्प्रेरण के लिए आरोपित किया गया है, कुटुंब के अन्य पात्र सदस्य को कुटुंब पेंशन की मंजूरी । Grant of family pension to other eligible member of the family where first eligible member is charged with offence of murdering the Government servant or for abetting in commission of such an offence.
16	कार्यालय ज्ञापन संख्या. 1/1(1)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई) दिनांक 26.10.2022 OM No. 1/1(1)/2022-P&PW (E) dated 26.10.2022	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के माता/पिता को कुटुंब पेंशन की मंजूरी । Grant of family pension under Central

		Civil Services (Pension) Rules, 2021 to parents of a deceased Government servant/pensioner.
17	कार्यालय ज्ञापन संख्या. 1/1(1)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई) दिनांक 26.10.2022 OM No. 1/1(1)/2022-P&PW (E) dated 26.10.2022	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन कुटुंब पेंशन की मंजूरी के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आय संबंधी दस्तावेज । Documents regarding income required to be submitted for deciding eligibility for grant of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.
18	कार्यालय ज्ञापन संख्या. 1/1(1)/2022-पी&पीडबल्यू(ई) दिनांक 26.10.2022 OM No. 1/1(1)/2022-P&PW (E) dated 26.10.2022	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री को कुटुंब पेंशन की मंजूरी । Grant of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 to an unmarried or widowed or divorced daughter of a deceased Government servant/pensioner.
19	कार्यालय ज्ञापन संख्या. 1/1(1)/2022-पी&पीडबल्यू(ई) दिनांक 26.10.2022 OM No. 1/1(1)/2022-P&PW (E) dated 26.10.2022	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त बच्चे या सहोदर को कुटुंब पेंशन की मंजूरी । Grant of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021to a child or sibling of a deceased Government servant /pensioner suffering from a mental or physical disability.
20	कार्यालय ज्ञापन संख्या. 1/1(1)/2022-पी&पीडबल्यू(ई) दिनांक 26.10.2022 OM No. 1/1(1)/2022-P&PW (E) dated 26.10.2022	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन कुटुंब पेंशन का सहभाजन । Sharing of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.
21	कार्यालय ज्ञापन संख्या. 1/1(1)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई) दिनांक 26.10.2022 OM No. 1/1(1)/2022-P&PW (E) dated 26.10.2022	किसी नि:संतान विधवा का पुनर्विवाह होने पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन कुटुंब पेंशन की मंजूरी । Grant of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 on

		remarriage of a childless widow.
22	कार्यालय ज्ञापन संख्या. 1/1(1)/2022-पी&पीडबल्यू(ई) दिनांक 26.10.2022 OM No. 1/1(1)/2022-P&PW (E) dated 26.10.2022	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन कुटुंब पेंशन की रकम और परिस्थितियां जिनमें यह देय है । Amount of family pension and circumstances in which it is paid under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.
23	कार्यालय ज्ञापन संख्या. 1/1(1)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई) दिनांक 26.10.2022 OM No. 1/1(1)/2022-P&PW (E) dated 26.10.2022	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन लापता सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी के कुटुंब को कुटुंब पेंशन, उपदान, आदि की मंजूरी से संबंधित उपबंध । Provisions regarding grant of family pension, gratuity, etc. to family of a missing Government servant or pensioner or family pensioner under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.

भवदीय/Yours faithfully,

Digitally signed by ARUN MANIKANDA BHARATHI M

अवर सचिव (नीति प्रभाग)/ Under Secretary (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1) सी.एस.आई.आर. वेबसाइट/ CSIR Website

2) कार्यालय प्रति/Office copy.

सं.-28/90/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8297

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक 02 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सिविल नियोजन से पूर्व की गई सैन्य सेवा की गणना।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 20 के अनुसार, पुनर्नियोजित सैन्य पेंशनभोगी पेंशन और उपदान के लिए पूर्व सैन्य सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करने के लिए विकल्प का प्रयोग करने के लिए अपनी पेंशन का आहरण बंद कर देता है और (i) पहले ली गई पेंशन; और (ii) सैनिक पेंशन के भाग के संराशीकरण के लिए स्वीकार किए गए मूल्य; और (iii) सेवानिवृत्ति उपदान की रकम, जिसके अंतर्गत सेवा उपदान, यदि कोई हो, भी है; वापस कर देता है या वापस करने के लिए सहमत होता है।

3. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को शुरू करने के पश्चात दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम लागू नहीं होते थे। अतः, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली,1972 के नियम 19 के तहत विकल्प केवल उन सैन्य पेंशनभोगियों के लिए उपलब्ध था जिन्हें 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व सिविल सेवा पद पर पुनर्नियोजित किया गया था। यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने सैन्य सेवा की थी और उसे 31 दिसंबर, 2003 के पश्चात किसी सिविल सेवा या पद पर पुनर्नियोजित किया गया है/था, तो वह सैन्य पेंशन आहरित करना जारी रखेगा और/या सैन्य सेवा से कार्यमुक्त होने पर प्राप्त उपदान को रखेगा और, पुनर्नियोजन होने पर, वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को शासित करने वाले नियमों द्वारा कवर किया जाएगा।

4. यदि किसी पुनर्नियोजित सैन्य पेंशनभोगी, जिसे 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व किसी सिविल सेवा या पद पर पुनर्नियोजित किया गया था, द्वारा प्रयोग किया गया उपरोक्त विकल्प, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 19 के तहत अनुज्ञेय था, तो केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 19 के तहत अनुज्ञेय था, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 20 के अनुसार पेंशन और उपदान के लिए पुनर्नियोजन से पहले की

जारी..

गई सेवा की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाती रहेगी। सिविल सेवा या पद में पुनर्नियोजन के पश्चात की गई सेवा के लिए पेंशन और उपदान, सैन्य सेवा के संबंध में सरकारी कर्मचारी द्वारा आहरित पेंशन और उपदान के संदर्भ में किसी सीमा के अध्यधीन नहीं होगा।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए सिविल नियोजन से पूर्व की गई सैन्य सेवा की गणना से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/90/2022-P&PW(B)/8297
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 2nd October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Counting of military service rendered before civil employment under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021-reg.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

2. In accordance with Rule 20 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, a re-employed military pensioner could exercise an option to count the former military service, as qualifying service for pension and gratuity by ceasing to draw his pension and refunding or agreeing to refund– (i) the pension already drawn; and (ii) the value received for the commutation of a part of military pension; and (iii) the amount of retirement gratuity including service gratuity, if any.

3. After introduction of the National Pension System, the CCS (Pension) Rules, 1972 were not applicable to the Government servants appointed on or after 01.01.2004. Therefore, the option under Rule 19 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 was available only to the military pensioners who were re-employed on the civil side on or before 31st December, 2003. If a Government servant, who had rendered military service, is/was re-employed in a civil service or post after 31st December, 2003, he shall continue to draw the military pension and/or retain gratuity received on discharge from military service and, on re-employment in a civil service or post, he shall be covered by the rules governing the National Pension System.

4. In case the above option exercised by a re-employed military pensioner, who was re-employed on a civil service or post on or before 31st December, 2003, was allowed under Rule 19 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, the period of service rendered before such re-employment shall continue to be counted as qualifying service for pension and gratuity in accordance with Rule 20 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021. The pension and gratuity for the service

Contd.

rendered after re-employment in civil service or post shall not be subject to any limitation with reference to the pension and gratuity drawn by the Government servant in respect of the military service.

5. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding counting of past military service rendered before re-employment on a civil post as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं.28/90/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8297

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तृतीय तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक 02 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या संयुक्त राष्ट्र के अन्य किन्हीं निकायों या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पुनर्निर्माण और विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि की अर्हक सेवा के रूप में गणना से संबंधित।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 29 के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या संयुक्त राष्ट्र के अन्य किन्हीं निकायों या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पुनर्निर्माण और विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की विदेश सेवा में प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारी, अपने विकल्प पर, (क) अपनी विदेश सेवा की बाबत पेंशन का अंशदान अदा कर सकेगा और ऐसी सेवा की गणना इन नियमों के अधीन पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में कर सकेगा; या (ख) अपनी विदेश सेवा की बाबत पेंशन का अंशदान अदा न करे और इन नियमों के अधीन पेंशन के लिए ऐसी सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में न करे। जहां कोई सरकारी कर्मचारी खंड (ख) के लिए विकल्प करता है, सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए गए पेंशन अंशदान, यदि कोई हो, उसे वापस दिए जाएंगे।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या संयुक्त राष्ट्र के अन्य किन्हीं निकायों या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पुनर्निर्माण और विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि की अर्हक सेवा के रूप में गणना के संबंध

जारी -.

में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन,
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/90/2022-P&PW(B)/8297
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 2nd October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Counting of period of deputation to the United Nations' Secretariat or other United Nations' Bodies or the International Monetary Fund or the International Bank of Reconstruction and Development or the Asian Development Bank or the Commonwealth Secretariat or any other International organization as qualifying service under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021-reg.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

2. In accordance with Rule 29 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, a Government servant who is deputed on foreign service to the United Nations' Secretariat or other United Nations' Bodies or the International Monetary Fund or the International Bank of Reconstruction and Development, or the Asian Development Bank or the Commonwealth Secretariat or any other International organization may opt (a) to pay the pension contributions in respect of his foreign service and count such service as qualifying for pension under these rules; or (b) not to pay the pension contributions in respect of his foreign service and not count such service as qualifying for pension under those rules. Where a Government servant opts for clause (b), pension contributions, if any, already paid by him shall be refunded to him.

3. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding counting of period of deputation to the United Nations' Secretariat or other United Nations' Bodies or the International Monetary Fund or the International Bank of Reconstruction and Development or the Asian Development Bank or the Commonwealth Secretariat or any other International organization as qualifying service under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

फा. सं.38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक:-10.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021के लागू होने से संबंधितउपबंध।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। नियम 2 के अनुसार, ये नियम संघ के कार्यकलापों से संबंधित सिविल सेवाओं और पदों पर,जो पेंशनी स्थापनों के हों, अधिष्ठायी रूप से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों, जिसमें रक्षा सेवाओं के सिविल सरकारी कर्मचारी सम्मिलित हैं,परलागू होंगे।

2. ये नियम 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे। तथापि, ये नियम 31 दिसंबर, 2003 के पश्चात् नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर भी निम्नलिखित मामलों में लागू होंगे:

(1) ऐसे सरकारी कर्मचारी पर, जिसे 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व प्रवेश प्रेरण प्रशिक्षण पर रखा गया था, तत्पश्चात् 31 दिसंबर 2003 के पश्चात् नियमित आधार पर नियुक्ति की गई, यदि प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना पद परनियमित रूप से नियुक्ति के लिए अनिवार्यशर्त था, ऐसे प्रशिक्षण की अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारी वेतन या वृत्ति का पात्र था और प्रशिक्षण की अवधि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 केउपबंधों के अनुसार अर्हक सेवा के रूप में गणना के लिए पात्र थी।

(2) ऐसेसरकारी कर्मचारी पर, जिसे प्रारंम्भ में 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व नियुक्त किया गया था,-

(i) केंद्रीय सरकार के ऐसे किसी स्थापन या विभाग में जिसके कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के अतिरिक्त किसी अन्य पेंशन योजना द्वारा कवर किए गए थे; या

(ii) राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी स्वायत्त निकायमें जहां केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के समान गैर-अंशदायी पेंशन योजना है।

और तत्पश्चात् 31 दिसंबर, 2003 के पश्चात् केंद्रीय सरकार के किसी ऐसे स्थापन में नियुक्त किया गया, जिसे ये नियम लागू होते हैं, इस शर्त के अध्यधीन कि इन नियमों या इस संबंध में जारी किए गए किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसारउक्त सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय के ऐसे स्थापन में दी गई सेवा की गणना के लिए अन्य सभी शर्तें पूरी करता हो।

(3) ये नियम संघ के कार्यकलापों से संबंधित सिविल सेवा या पद में 31 दिसंबर, 2003 के पश्चात् नियुक्त सरकारी कर्मचारी पर, यदि वह इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किसी विशेष या सामान्य आदेश के अनुसार इन नियमों के तहत कवर किए जाने की शर्तों को पूरा करता हो।

(4) उन व्यक्तियों पर भी,जिन्हें 31 दिसंबर, 2003 के पश्चात् नियमित आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्त किया गया था, किंतु 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा अधिसूचित भारत सरकार की "अस्थायी कामगार (अस्थायी हैसियत प्रदान करना और नियमितीकरण) योजना, 1993" के अनुसार अस्थायी हैसियत प्रदान की गई थी और इस तरह की अस्थायीहैसियत के बाद बिना किसी व्यवधान के, सरकारी सेवा में नियमित नियुक्ति हो गई है।इसके अतिरिक्त, नियम 15 के उपबंधों के अनुसार, ऐसासरकारी कर्मचारी,जिसे 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व अस्थायी हैसियत प्रदत्त की गई थी और तत्पश्चात्भारत सरकार की "अस्थायी कामगार (अस्थायी हैसियतप्रदान करना और नियमितीकरण) योजना, 1993" के अनुसार सरकारी सेवा में नियमित किया गया था,द्वारा'अस्थायी हैसियत' क्षमता में की गई सेवा का पचास प्रतिशत, इन नियमों के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के रूप में गणनामें लिया जाएगा।

(5) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जो संघ के कार्यकलापों से संबंधित सिविल सेवाओं या पदों पर 31 दिसंबर, 2003 के पश्चात् नियुक्त किए जाने पर, केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) नियमावली, 2021 द्वारा कवर किया गया हो, की मृत्यु होने या अशक्तता होने पर सेवा से कार्यमुक्त होने की स्थिति में नियम 39 के अधीन अशक्त पेंशन और नियम 50 के अधीन कुटुंब पेंशन, यथास्थिति सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार को देय होगी, यदि सरकारी कर्मचारी ने केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) नियमावली, 2021 के नियम 10 के अधीन इस आशय का विकल्प चुना है या जिसके मामले में इन नियमों या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अंतर्गत हितलाभ के लिए डिफ़ाल्ट विकल्प उपलब्ध है।

3. ऐसे सरकारी कर्मचारियों की दशा में, जिसे संघ के कार्यकलापों से संबंधित सिविल सेवाओं और पदों पर 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व अस्थायी क्षमता में नियुक्त किया गया था, जो अधिष्ठायी रूप से नियुक्त होने से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए या सेवा से निवृत्त किए गए थे, इन नियमों के अधीन हितलाभ, केंद्रीय सिविल सेवा(अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 में निहित उपबंधों के विस्तार तक सरकारी कर्मचारी को देय होंगे।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 केलागू होने से संबंधित उपबंधों का सभी सरकारी कर्मचारियों में व्यापक प्रचार किया जाए और इनका सख्ती से अनुपालन करने हेतु,इन्हें विशेष रूप से मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(आर.सी.सेठी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24635979

मेरा में

F. No. 38/01(05)/2022-P&PW(A)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated : 10.10.2022

Office Memorandum

Subject: Provisions regarding applicability of Central Civil Services (Pension) Rules, 2021

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with Rule 2, these Rules are applicable to the Government servants, including civilian Government servants in the Defence Services, appointted substantively to civil services and posts in connection with the affairs of the Union which are borne on pensionable establishments.

2. These Rules are applicable to the Government servants appointed on or before 31st day of December, 2003. However, the Rules are also applicable to Government servants appointed after 31st December, 2003 in following cases:

(1) A Government servant who was put on induction training on or before 31st day of December, 2003 followed by appointment on regular basis after 31st day of December, 2003 if completion of the induction training was an essential condition for appointment on regular basis to the post, the Government servant was eligible for a salary or a stipend during the period of such training and the period of training was eligible for being counted as qualifying service in accordance with the provisions of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

(2) A Government servant who was initially appointed on or before 31st December, 2003,-

(i) in an establishment or Department of the Central Government whose employees were covered by a pension scheme other than the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972; or

(ii) in a State Government or an autonomous body under the Central Government or State Government having a non-contributory pension scheme similar to the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972,

and was subsequently appointed after 31st December, 2003 in an establishment of a Central Government to which these rules apply, subject to the condition that the said Government servant fulfils all other conditions for counting of service rendered in such establishment of the Central Government or State Government or autonomous body, in accordance with these rules or any general or special order issued in this regard.

(3) A Government servant appointed after 31st December, 2003 to a civil service or post in connection with the affairs of the Union, if he fulfils the conditions for coverage under these rules in accordance with any special or general order issued by the Government in this regard.

(4) Persons who were regularly appointed in Government service after 31st December, 2003 but were conferred temporary status on or before 31st December, 2003 in accordance with the "Casual Labourers (Grant of Temporary Status and Regularisation) Scheme of Government of India, 1993" notified by Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) and such temporary status is followed without interruption by regular appointment in Government service. Further, as per the provisions of rule 15, fifty percent of the service rendered in 'temporary status' capacity by a

Government servant, who was conferred temporary status on or before 31st December, 2003 and was subsequently regularised in Government service, in accordance with the "Casual Labourers (Grant of Temporary Status and Regularisation) Scheme of Government of India, 1993), shall count as qualifying service for the purpose of these rules.

(5) Where in the event of death or discharge from service on the ground of invalidation in the case of a Government servant who, having been appointed to civil services and posts in connection with the affairs of the Union after 31st day of December, 2003, is covered by the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021, the benefits of Invalid Pension under rule 39 and Family Pension under rule 50 shall be payable to the Government servant or his family, as the case may be, if the Government servant had exercised an option to this effect under rule 10 of the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 or in whose case the default option is for availing benefits under these rules or the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

3. The cases of Government servants appointed in temporary capacity to civil services and posts in connection with the affairs of the Union on or before 31st day of December, 2003, who retired or were retired before having been appointed in a substantive capacity, the benefits under these rules shall be payable to the Government servant to the extent provided in the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965.

4. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding applicability of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be given wide publicity to all Government servants and more particularly to the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices there under, for strict implementation.

(R.C Sethi)
Deputy Secretary to Government of India
Tel: 24635979

To,
All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list)

फा. सं.38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 10.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीनसेवानिवृत्ति/सेवा से पदत्याग/मृत्यु की तारीख को कार्यदिवस मानने या अन्यथा के संबंध में उपबंध।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविलसेवा(पेंशन)नियमावली, 1972का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन)नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। नियम 2 के अनुसार, ये नियम संघ के कार्यकलापों से संबंधित सिविल सेवाओं और पदों पर, जो पेंशनी स्थापनों के हों, अधिष्ठायी रूप से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों, जिसमें रक्षा सेवाओं के सिविल सरकारी कर्मचारी सम्मिलित हैं, पर लागू होंगे।

2. नियम 5 के उप-नियम(2) में यह प्रावधान है कि जिस दिन सरकारी कर्मचारी, यथास्थिति, सेवानिवृत होता है या सेवानिवृत कर दिया जाता है या सेवामुक्त कर दिया जाता है या उसे सेवा से पदत्याग करने की अनुज्ञा दी जाती है,वह दिन उसके उसका कार्य का अंतिम पूर्ण दिन माना जाएगा और मृत्यु की तारीख भी कार्य का दिन मानी जाएगी। तथापि, ऐसे सरकारी कर्मचारीकी दशा में, जो अपनी सेवानिवृति या मृत्यु से ठीक पूर्व कर्तव्य से अवकाश पर या अन्यथा अनुपस्थित था अथवा निलंबित था, उसकी सेवानिवृत्ति या मृत्यु का दिन ऐसे अवकाश या अनुपस्थिति या निलंबन का हिस्सा होगा।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अनुसार,सेवानिवृत्ति/सेवा से पदत्याग/मृत्यु की तारीख को कार्यदिवस मानने या अन्यथा, से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(आर.सी.सेठी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24635979

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 38/01(05)/2022-P&PW(A)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 10.10.2022

Office Memorandum

Subject: Provisions regarding treatment of the day of retirement/resignation/death under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with Rule 5 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, any claim to pension or family pension shall be regulated by the provisions of those rules in force at the time when a Government servant retires or is retired or is discharged or is allowed to resign from service or dies, as the case may be.

2 Sub-rule (2) of Rule 5 provides that the day on which a Government servant retires or is retired or is discharged or is allowed to resign from service, as the case may be, shall be treated as his last completed working day and the date of death shall also be treated as a completed working day. However, in a case where the Government servant immediately before his retirement or death was absent from duty on leave or otherwise or was under suspension, the day of retirement or death shall be part of such leave or absence or suspension.

3. All Ministries/Departments are requested that the above provisions in the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 regarding treatment of the day of retirement/resignation/death as working day or otherwise may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices there under, for strict implementation.

(R.C Sethi)
Deputy Secretary to Government of India
Tel: 24635979

To,
All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list)

फा. सं.38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 10.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय पेंशनों और उपादानों की संख्याओं की परिसीमाओं से संबंधित उपबंध।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविलसेवा(पेंशन)नियमावली, 1972का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन)नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 6 के अनुसार, कोई भी सरकारी कर्मचारी एक ही सेवा या पद पर एक ही समय में या एक हीलगातार सेवा करके दो पेंशनें नहीं ले सकता है। नियम 6 में आगे और प्रावधान है कि नियम 19 या नियम 20 में दिए गए उपबंध के अतिरिक्त (अर्थात किसी सिविल सरकारी कर्मचारी के मामले में, जो प्रतिकर पेंशन या अशक्त पेंशन पर सेवानिवृत्ति के पश्चात्, 31 दिसंबर, 2003 से पूर्व पुनर्नियोजित किया गया था या कोई सैन्य पेंशनभोगी जो 31 दिसंबर, 2003 से पूर्व सिविल सेवा में पुनर्नियोजित किया गया था), पुनर्नियोजितसरकारी कर्मचारी अपने पुनर्नियोजन की अवधि के लिए अलग पेंशन या उपदान का हकदार नहीं होगा। अतः, ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो अधिवर्षिता पेंशन या सेवानिवृत्ति पेंशन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन पर सेवानिवृत हुआ हो या जो सेवा से पदच्युत किए जाने या हटा दिए जाने पर अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहा होऔर जिसे तत्पश्चात्पुनर्नियोजितकिया जाता है, अपने पुनर्नियोजनकी अवधि के लिए अलग पेंशन या उपदान का हकदार नहीं होगा।

2. तथापि, नियम6 में यह प्रावधान है कि ऐसा सरकारी कर्मचारी जो पूर्व में किसी स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियुक्त किया गया था और तत्पश्चात् उस निकाय या उपक्रम की उचित अनुमति के साथ, 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व सरकारी सेवा में नियुक्त किया गया था, तो उस निकाय या उपक्रम में की गई सेवा के लिए स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से उसे प्राप्त पेंशन और उपदान, यदि कोई हो, के अतिरिक्त सरकार में की गई सेवा के लिए पेंशन और उपदान प्राप्त करने का पात्र होगा, परंतु यह और कि स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में की गई सेवा और सरकार के अधीन की गई सेवा की बाबतउपदान की कुल रकम उस रकम से अधिक नहीं होगी जो स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकार में सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई संपूर्ण सेवा और सरकार से सेवानिवृत्ति पर मिली परिलब्धियों पर विचार करते हुए अनुज्ञेय होती। ऐसे मामलों में, स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में की गई सेवा के लिए पेंशन, यदि कोई हो, संबंधित स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा ही संदत्त की जाएगी और सरकार के अधीनकिसी सेवा

में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उक्त स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा की पेंशन के लिए सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा।

3. किसी सरकारी कर्मचारी को सरकार में उचित अनुमति के साथ नियुक्त किया गया माना जाएगा यदि उसने स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की पूर्व अनुमति के साथ सरकार में सेवा या पद के लिए आवेदन किया था तथा स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का आदेश स्पष्ट रूप से उपदर्शित करता है कि कर्मचारी यथास्थिति, स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, की उचित अनुमति के साथ सरकार में पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए त्यागपत्र दे रहा है।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय पेंशनों और उपादानों की संख्याओं की परिसीमाओं से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(आर.सी.सेठी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24635979

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 38/01(05)/2022-P&PW(A)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 10.10.2022

Office Memorandum

Subject: Provision regarding limitations on number of pensions and gratuities admissible to a Government servant under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with Rule 6 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, a Government servant shall not earn two pensions in the same service or post at the same time or by the same continuous service. Rule 6 further provides that except as provided in rule 19 or rule 20 (i.e. in the case of a civil Government servant who, after retirement on compensation pension or invalid pension, was re-employed before 31st December, 2003 or a military pensioner who was re-employed in civil service before 31st December, 2003,), a re-employed Government servant shall not be entitled to a separate pension or gratuity for the period of his re-employment. Thus a Government servant who, having retired on a superannuation pension or retiring pension or compulsory retirement pension or who is in receipt of a compassionate allowance on having been dismissed or removed from service, is subsequently reemployed, shall not be entitled to a separate pension or gratuity for the period of his re-employment.

2. Rule 6, however, provides that a Government servant who was previously appointed in an autonomous body or a public sector undertaking and was subsequently appointed, with proper permission of that body or undertaking, in the Government service on or before 31st December, 2003, will be eligible for pension and gratuity for the service rendered in the Government in addition to the pension and gratuity, if any, received by him from the autonomous body or the public sector undertaking for the service rendered in that body or undertaking subject to the condition that the total amount of gratuity in respect of the service rendered in the autonomous body or the public sector undertaking and the service rendered under the Government shall not exceed the amount that would have been admissible taking into account the entire service rendered by the Government servant in the autonomous body or the public sector undertaking and the Government and the emoluments on retirement from Government. In such cases, pension, if any, on account of service rendered in an autonomous body or a public sector undertaking shall be paid by the concerned autonomous body or the public sector undertaking itself and there shall be no liability on the part of the Government towards pension for the service rendered by the Government servant in the said autonomous body or the public sector undertaking before joining service under the Government.

3. A Government servant shall be deemed to have been appointed in the Government with proper permission if he had applied for the service or post in the Government with previous permission of the autonomous body or the public sector undertaking and the order of the autonomous body or the public sector undertaking clearly indicates that the employee is resigning to join the post in the Government with proper permission of the autonomous body or the public sector undertaking, as the case may be.

4. All Ministries/Departments are requested that the above provisions in the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 regarding limitations on number of pensions and gratuities admissible to a Government servant may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices there under, for strict implementation.

(R.C Sethi)
Deputy Secretary to Government of India
Tel: 24635979

To,
All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list)

फा. सं.38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 10.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीनकिसी गंभीर अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाने पर या किसी गंभीर अवचार का दोषी पाए जाने पर पेंशन/कुटुंबपेंशन को रोकने या प्रत्याहृत करने के संबंध में उपबंध।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 7 के अनुसार,यदि पेंशनभोगी किसी गंभीर अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या किसी गंभीर अवचार का दोषी पाया गया है तो नियुक्ति प्राधिकारी, पेंशन या उसके किसी भाग को, लिखित आदेश द्वारा, स्थायी रूप से अथवा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रोक सकेगा या प्रत्याहृत कर सकेगा। नियम 7 के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण(क) के अनुसार 'पेंशन' पद के अंतर्गत कुटुंब पेंशन भी है और 'पेंशनभोगी' पद के अंतर्गत कुटुंब पेंशनभोगी भी है। तदनुसार, यदि पेंशनभोगी किसी गंभीर अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या किसी गंभीर अवचार का दोषी पाया गया है तो कुटुंब पेंशनभोगी को दी गई कुटुंब पेंशन भी रोकी या प्रत्याहृत की जा सकेगी।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अनुसार किसी गंभीर अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाने पर या किसी गंभीर अवचार का दोषी पाए जाने पर पेंशन/कुटुंबपेंशन को रोकने या प्रत्याहृत करने, से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

आर. सेठी
(आर.सी.सेठी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24635979

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 38/01(05)/2022-P&PW(A)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 10.10.2022

Office Memorandum

Subject: Provision regarding withholding or withdrawal of pension/family pension on being convicted of a serious crime or on being found guilty of grave misconduct, under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with Rule 7 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, the Appointing Authority may, by order in writing, withhold or withdraw a pension or a part thereof, whether permanently or for a specified period, if the pensioner is convicted of a serious crime or is found guilty of grave misconduct. As per the Explanation (a) below Rule 7, the expression 'pension' includes family pension and the expression 'pensioner' includes family pensioner. Accordingly, family pension payable to a member of the family may also be withheld or withdrawn if the family pensioner is convicted of a serious crime or is found guilty of grave misconduct.

2. All Ministries/Departments are requested that the above provisions in the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 regarding withholding or withdrawal of pension/family pension on being convicted of a serious crime or on being found guilty of grave misconduct may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices there under, for strict implementation.

(R.C Sethi)
Deputy Secretary to Government of India
Tel: 24635979

To,
All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list)

फा. सं.38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 10.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीनविभागीय/न्यायिक कार्यवाहियां लंबित होने के दौरान अनंतिम पेंशन की संस्वीकृति और उपदान रोकनेके संबंध में उपबंध।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 8 के अनुसार विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित होने के मामलों में अनंतिम पेंशन की संस्वीकृति देने के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

i. ऐसे सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां संस्थित की गई हों या जहां केंद्रीय सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अधीन संस्थित विभागीय कार्यवाहियां सेवानिवृत्ति के पश्चात जारी रखी गई हों, अनंतिम पेंशन संस्वीकृत की जाएगी।

ii. लेखा अधिकारी उस अधिकतम पेंशन के बराबर अनंतिम पेंशन प्राधिकृत करेगाजो सरकारी कर्मचारीकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या, यदि वह सेवानिवृत्ति की तारीख को निलंबित रहा था, तो उसके निलंबित किए जाने की तारीख से ठीक पूर्व की तारीख तक उसकी अर्हक सेवा के आधर पर उसे अनुज्ञेय होती।

iii. अनंतिम पेंशन उस अवधि के लिए प्राधिकृत की जाएगी जो सेवानिवृत्ति कीतारीख से प्रारंभ होकर और उस तारीख तक,जिसमें वो तारीख भी सम्मिलित है जिसको विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात्सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाते हैं।

iv. सरकारी कर्मचारी को तब तक कोई भी उपदान नहीं दिया जाएगा जब तक कि विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां समाप्त नहीं हो जाती और उन पर अंतिम आदेश नहीं दे दिया जाता।

v. अनंतिम पेंशन या उपदान रोकनेसे संबंधित उपबंधवहां लागू नहीं होंगे, जहां किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्धअवचार के आरोपों की जांच की जा रही हो अथवा जहां किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्धविभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां करने पर विचार किया जा रहा है, किन्तु सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक वस्तुतः संस्थितनहीं की गई हैं या संस्थित किया गया नहीं समझा गया है। ऐसे मामलों में, नियम 63 के अनुसार सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति पर पेंशन और उपदान का संदाय प्राधिकृत किया जाएगा। तथापि, सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात्संस्थित की गई कोई भी विभागीय कार्यवाहियां उपरोक्त पैरा 3 के उपबंधों के अधीन होगी।

vi. अनंतिम पेंशन का संदाय ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी को संस्वीकृत अंतिम सेवानिवृत्ति हितलाभों के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा, किन्तु जहां अंतिम रूप में संस्वीकृत पेंशन अनंतिम पेंशन से कम है या जहां पेंशन कम हो गई है या स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट

अवधि के लिए विधारित कर ली जाती है वहां कोई वसूली नहीं की जाएगी।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अनुसार, विभागीय/न्यायिक कार्यवाहियां लंबित होने के दौरान अनंतिम पेंशन की संस्वीकृति और उपदान रोकने, से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

र. सेठी

(आर.सी.सेठी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24635979

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 38/01(05)/2022-P&PW(A)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 10.10.2022

Office Memorandum

Subject: Provision regarding sanction of provisional pension and withholding of gratuity during pendency of departmental/judicial proceedings under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with Rule 8 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, the following are the provisions regarding sanction of provisional pension in cases where departmental or judicial proceedings are pending:

(i) In the case of a retired Government servant against whom any departmental or judicial proceedings are instituted or where departmental proceedings instituted under rule 14 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 are continued after retirement, a provisional pension shall be sanctioned.

(ii) The Accounts Officer shall authorise the provisional pension equal to the maximum pension which would have been admissible on the basis of qualifying service up to the date of retirement of the Government servant, or if he was under suspension on the date of retirement, up to the date immediately preceding the date on which he was placed under suspension.

(iii) The provisional pension shall be authorised during the period commencing from the date following the date of retirement up to and including the date on which, after the conclusion of departmental or judicial proceedings, final orders are passed by the competent authority.

(iv) No gratuity shall be paid to the Government servant until the conclusion of the departmental or judicial proceedings and issue of final orders thereon.

(v) The provisions regarding provisional pension or withholding of gratuity shall not be applicable where allegations of misconduct are under investigation against a Government servant or where departmental or judicial proceedings are contemplated against a Government servant but have not actually been instituted or deemed to have been instituted till the date of retirement of the Government servant. The pension and gratuity in such cases shall be authorised to be paid to the Government servant on his retirement in accordance with rule 63. However, the provisions brought out in para 3 above shall apply to any departmental proceedings instituted after retirement of the Government servant.

(vi) Payment of provisional pension shall be adjusted against final retirement benefits sanctioned to such Government servant upon conclusion of such proceedings but no recovery shall be made where the pension finally sanctioned is less than the provisional pension or the pension is reduced or withheld either permanently or for a specified period.

2. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding sanction of provisional pension and withholding of gratuity during pendency of departmental/judicial proceedings may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices there under, for strict implementation.

(R.C Sethi)
Deputy Secretary to Government of India
Tel: 24635979

To,
All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list)

सं. 38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,

खान मार्केट,नई दिल्ली-110003

दिनांक 10.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किए जाने पर अशक्त पेंशन की मंजूरी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 39 में किसी भी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता जो सरकारी कर्मचारी को सेवा के लिए स्थायी रूप से असमर्थ कर देती है, के लिए अशक्त पेंशन के आवेदन की स्वीकृति/प्रक्रमण के लिए विस्तृत प्रक्रिया निहित है। नियम 39 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि अशक्त पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारी के पति/पत्नी द्वारा प्रस्तुत आवेदन, ऐसा न होने पर सरकारी कर्मचारी के कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत आवेदन भी विभागाध्यक्षद्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि सरकारी कर्मचारी ऐसा आवेदन स्वयं प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है।

2. नियम 39 में यह भी प्रावधान है कि ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो दस वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने के पूर्व ही सेवा से सेवानिवृत होता है, उसे भी अशक्त पेंशन प्रदान की जायेगी तथा उसकेमामले में, पेंशन की रकम की संगणना भी परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों के पचास प्रतिशत के आधार पर, नियम 44 के अनुसार जो भी उसके लिए अधिक लाभप्रद है, की जाएगी यदि सरकारी कर्मचारी की -(क) सरकारी सेवा में नियुक्ति से पूर्व या नियुक्ति के पश्चात् उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है और ऐसे चिकित्सा प्राधिकरी द्वारा उसे सरकारी सेवा के लिए योग्य घोषित किया गया है; तथा (ख) अशक्त पेंशन की अनुज्ञा के लिए इस नियम में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों को पूरा करता है।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है किकेंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 39के अनुसार अशक्त पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारी के पति/पत्नी द्वारा प्रस्तुत आवेदन मंजूर करने और दस वर्ष से कम की अर्हक सेवा वाले सरकारी कर्मचारी को अशक्त पेंशन प्रदान करने से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(आर.सी. सेठी)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 24635979

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 38/01(05)/2022-P&PW(A)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 10.10.2022

Office Memorandum

Subject: Grant of Invalid Pension under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 on retirement from Government service on account of any bodily or mental infirmity.

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. Rule 39 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 lays down the detailed procedure for acceptance/processing of application for Invalid Pension on account of any bodily or mental infirmity, which permanently incapacitates the Government servant for the service. Rule 39 inter alia provides that the Head of Department may accept an application for retirement on Invalid Pension submitted by the spouse of the Government servant failing which by a member of the family of the Government servant, if he is satisfied that the Government servant himself is not in a position to submit such application.

2. Rule 39 also provides that a Government servant, who retires from service even before completing qualifying service of ten years, shall also be granted invalid pension and, in his case, the amount of pension shall also be calculated at fifty percent of emoluments or average emoluments, whichever is more beneficial to him in accordance with rule 44 if the Government servant- (a) has been examined by the appropriate medical authority either before his appointment or after his appointment to the Government service and declared fit by such medical authority for Government service; and (b) fulfils all other conditions mentioned in this rule for grant of invalid pension.

3. All Ministries/Departments are requested that the above provisions of Rule 39 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 regarding acceptance of application for Invalid Pension submitted by the spouse/family members of the Government servant and grant of Invalid Pension to a Government servant with less than 10 years' qualifying service may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices there under, for strict implementation.

(R.C Sethi)
Deputy Secretary to Government of India
Tel: 24635979

To,
All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list)

सं. 38/01(05)/2022-पी&पीडबल्यू(ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,

खान मार्केट,नई दिल्ली-110003

दिनांक: 10.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीनशास्ति के रूप में सेवा से अनिवार्य रूप से निवृत्त किए गए सरकारी कर्मचारी कोअनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन की मंजूरी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली,1972का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021के नियम 40 के अनुसार, शास्ति के रूप में सेवा से अनिवार्य रूप से निवृत किए गए सरकारी कर्मचारी को, ऐसी शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा, पेंशन या सेवानिवृत्ति उपदान, या दोनों ही की, ऐसी दर पर दो-तिहाई से अन्यून और ऐसी पूरी अधिवर्षिता पेंशन या उपदान या दोनों जो उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को अनुज्ञेय हो, अनधिक हो, मंजूरी दी जा सकेगी।

2. नियम 40 में यह भी प्रावधान है कि पेंशन और उपदान की मात्रा से संबंधित आदेश अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश के साथ जारी किया जाएगा और जहां पेंशन और उपदान की मात्रा से संबंधित ऐसा आदेश यदि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश के साथ जारी नहीं किया जाता है, सरकारी कर्मचारी को पूर्ण अधिवर्षिता पेंशन और उपदान की दो-तिहाई दर पर अनंतिम पेंशन और अनंतिमउपदान यथाशीघ्र संस्वीकृत किया जायेगा। तत्पश्चात्, अंतिम पेंशन और उपदान संदाय करने का आदेश, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश जारी होने के तीन मास के भीतर, जहां आवश्यक हो, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से जारी किया जाएगा। अंतिम पेंशन और उपदान के संदाय होने तक अनंतिम पेंशन का संदाय जारी रहेगा।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है किकेंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 40 के अनुसारअनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन की मात्रा और अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन की मात्रा के संबंध में अंतिम आदेश जारी होने तक अनंतिम पेंशन की मंजूरी से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(आर.सी. सेठी)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 24635979

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 38/01(05)/2022-P&PW(A)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 10.10.2022

Office Memorandum

Subject: Grant of Compulsory retirement pension under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 to a Government servant who is compulsorily retired from service as a penalty.

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with Rule 40 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, a Government servant compulsorily retired from service as a penalty may be granted, by the authority competent to impose such penalty, pension or retirement gratuity or both at a rate not less than two-thirds and not more than full superannuation pension or gratuity or both admissible to him on the date of his compulsory retirement.

2. Rule 40 also provides that the order regarding the quantum of pension and gratuity to be granted may be issued simultaneous with the order of imposition of penalty of compulsory retirement and where such an order regarding the quantum of pension and gratuity to be granted is not issued simultaneous with the order of imposition of penalty of compulsory retirement, a provisional pension and a provisional gratuity at a rate of two thirds of full superannuation pension and gratuity shall be sanctioned to the Government servant immediately. Thereafter, the order for grant of final pension and gratuity shall be issued in consultation with Union Public Service Commission, where necessary, within three months from the date of issue of the order imposing the penalty of compulsory retirement. The provisional pension shall continue to be paid till the payment of final pension and gratuity.

3. All Ministries/Departments are requested that the above provisions of Rule 40 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 regarding quantum of Compulsory Retirement Pension and sanctioning of provisional pension till issue of final order regarding quantum of Compulsory Retirement Pension may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices there under, for strict implementation.

(R.C Sethi)
Deputy Secretary to Government of India
Tel: 24635979

To,
All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list)

फा. सं.38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 10.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीनसेवा से पदच्युत किए गए या हटाए गए सरकारी कर्मचारी को अनुकंपा भत्तेकी मंजूरी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 24 के अनुसार सरकारी कर्मचारी के किसी सेवा या पद से पदच्युत किए जाने या हटा दिए जाने सेउसकी विगत सेवा समपहृत हो जाएगी। नियम 41 में और आगे यह प्रावधान है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी की, जिसे सेवा से पदच्युत किया गया है या हटा दिया गया है, पेंशन और उपदान समपहृत हो जाएगा। तथापि यदि वह मामला ऐसा हो कि उस पर विशेष विचार किया जा सकता हो तो, उसे सेवा से पदच्युत करने या हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी, ऐसी पेंशन या उपदान या दोनों ही की दो-तिहाई से अनधिक ऐसा अनुकंपा भत्ता संस्वीकृत कर सकेगा जो उसे उस समय अनुज्ञेय होता जब वह अधिवर्षिता पेंशन पर सेवानिवृत हुआ होता।

2. नियम 41 में यह प्रावधान भी है किसक्षम प्राधिकारी, या तो स्वयं या सरकारी कर्मचारी के अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जांच करेगा कि क्या अनुकंपा भत्ता मंजूर किया जा सकता है और इस बाबत, सेवा से पदच्युत करने या हटाने की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश जारी होने की तारीख से तीन मास के भीतर निर्णय लेगा। सक्षम प्राधिकारी,-प्रत् सेवा से पदच्युत करने या हटाने के (क)येक मामले पर उसके गुणदोष के आधार पर विचार करेगा कि क्या वह मामला अनुकंपा भत्ते की संस्वीकृति के लिए विशेष विचार करने लायक है और, यदि हां, तो उसकी मात्रा क्या होगी। इस प्रयोजन के लिए (ख), सक्षम प्राधिकारी, अन्य बातों के साथसाथ-, वास्तविक अवचार, जिसके कारण सेवा से पदच्युत करने या हटाने की शास्ति अधिरोपित की गई और सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा को ध्यान में रखेगा। (ग)आपवादिक परिस्थितियों में, अन्य सुसंगत बातों के साथ-साथ सरकारी कर्मचारी पर आश्रित परिवार के सदस्यों जैसे कारकों पर विचार करेगा।

3. ऐसे मामलों में,जहां सेवा से पदच्युत करने या हटा दिए जाने की शास्ति अधिरोपित करने का आदेश इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व जारी किया गया था और सक्षम प्राधिकारी नेयह जांच ,उस समय , दिय नहीं की या निर्णय नहीं लिया कि उस मामले में कोई अनुकंपा भत्ताा जाना चाहिए था या नहींवे प्राधिकारी , इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से तीन मास के भीतर इस बाबत निर्णय ले सकेंगेऔर ऐसा सरकारी कर्मचारी जिस पर इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व सेवा से ,पदच्युत करने या हटा दिए जाने की शास्ति अधिरोपित की गई थीकृत नहीं संस्वी तीन मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अनुकंपा भत्ताउसे उपर्युक्त , किया जा सकेगा।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 41 के अनुसार अनुकंपा भत्तेकी मंजूरीके लिए परिस्थितियां, अनुकंपा भत्तेकी मात्रा और वह अवधि जिसके भीतर अनुकंपा भत्तेकी मंजूरी दी जा सकेगी, से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

आर. सेठी

(आर.सी.सेठी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24635979

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 38/01(05)/2022-P&PW(A)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 10.10.2022

Office Memorandum

Subject: Grant of Compassionate allowance under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 to a Government servant who is dismissed or removed from service.

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with Rule 24 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, dismissal or removal of a Government servant from a service or post shall entail forfeiture of his past service. Rule 41 further provides that a Government servant who is dismissed or removed from service shall forfeit his pension and gratuity. However, if the case is deserving of special consideration, the authority competent to dismiss or remove him from service may, sanction a compassionate allowance not exceeding two - thirds of pension or gratuity or both which would have been admissible to him if he had retired on superannuation pension.

2 Rule 41 also provides that the competent authority shall, either on its own or after taking into consideration the representation of the Government servant, if any, examine whether any compassionate allowance is to be granted and take a decision in this regard within three months from the date of issue of the order imposing the penalty of dismissal or removal from service. The competent authority shall consider,- (a) each case of dismissal and removal from service on its merit to decide whether the case deserves of special consideration for sanction of a compassionate allowance and, if so, the quantum thereof. (b) the actual misconduct which occasioned the penalty of dismissal or removal from service and the kind of service rendered by the Government servant. (c) in exceptional circumstances, factors like family members dependent on the Government servant along with other relevant factors.

3. In cases where an order imposing the penalty of dismissal or removal from service was issued before the date of commencement of the CCS(Pension) Rules, 2021 rules (i.e. 20th December 2021) and the competent authority, at that time, did not examine or decide whether or not any compassionate allowance was to be granted in that case, that authority was required to take a decision in this regard within six months from the date of commencement of those rules and no compassionate allowance shall be sanctioned after the expiry of the aforesaid period of six months, to a Government servant on whom a penalty of dismissal or removal from service was imposed before the date of commencement of these rules.

4. All Ministries/Departments are requested that the above provisions of Rule 41 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 regarding the circumstances in which Compassionate Allowance may be granted, the quantum of Compassionate Allowance and the period within which Compassionate Allowance is to be sanctioned may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices there under, for strict implementation.

(R.C Sethi)
Deputy Secretary to Government of India
Tel: 24635979

To,
All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list)

फा. सं.38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 26.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सेवाकाल के दौरान गंभीर अवचार या उपेक्षा का दोषी होने की दशा में पेंशन/उपदान को रोकने या प्रत्याहृत करने का अधिकार।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का नियम 8 को दिनांक 07.02.2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि 770(अ) द्वारा संशोधित किया गया है। पूर्ववर्ती केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 8 के अनुसार, राष्ट्रपति, सभी मामलों में, पेंशन/उपदान को रोकने/प्रत्याहृत करने का अधिकार, उस दशा में अपने पास आरक्षित रखते थे, जब किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों में पेंशनभोगी के बारे में यह पाया जाए कि वह अपने सेवाकाल में, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियोजन करने पर की गई सेवा भी है, गंभीर अवचार या उपेक्षा का दोषी रहा है।

2. संशोधित नियम 8 के अनुसार, राष्ट्रपति का अनुमोदन केवल ऐसे पेंशनभोगी के पेंशन या उपदान को रोकने/प्रत्याहृत करने का आदेश करने के लिए अपेक्षित होगा, जो ऐसे किसी पद से सेवानिवृत्त हुआ जिसका नियुक्ति प्राधिकारी राष्ट्रपति है, और अन्य मामलों में, प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के सचिव पेंशन या उपदान को रोकने/प्रत्याहृत करने के आदेश के लिए सक्षम होगा, जब किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों में पेंशनभोगी के बारे में यह पाया जाए कि वह अपने सेवाकाल में गंभीर अवचार या उपेक्षा का दोषी रहा है। इसी प्रकार, ऐसा पेंशनभोगी जो भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग जिसके लिए राष्ट्रपति के अधीनस्थ प्राधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी है, से सेवानिवृत्त हुआ, के मामले में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक पेंशन या उपदान को रोकने/प्रत्याहृत करने के आदेश करने के लिए सक्षम होगा। ऐसे मामलों में जहां राष्ट्रपति नियुक्ति प्राधिकारी नहीं है वहां यूपीएससी के साथ परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

3. संशोधित नियम 8(6क) में राष्ट्रपति के अलावा किसी प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील करने का उपबंध किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा किए गए आदेशों का पुनरीक्षण/समीक्षा करने के उपबंध क्रमश: नियम 8(7) और नियम 8(8) में किए गए हैं।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि जहां पेंशनभोगी अपने सेवाकाल में गंभीर अवचार या उपेक्षा का दोषी पाया जाए, उस दशा में पेंशन/उपदान को रोकने या प्रत्याहृत करने के अधिकार से संबंधित उपर्युक्त संशोधित उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु इन्हें पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(आर.सी.सेठी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24635979

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 38/01(05)/2022-P&PW(A)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 26.10.2022

Office Memorandum

Subject: Power to withhold or withdraw pension/gratuity in cases of grave misconduct or negligence during the period of service under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.

The undersigned is directed to say that Rule 8 of the CCS (Pension) Rules, 2021 has been amended vide Notification No. GSR 770(E) dated 07.10.2022. As per earlier Rule 8 of the CCS (Pension) Rules, 2021, the President had the power, in all cases, to withhold/withdraw a pension/gratuity, if in any departmental or judicial proceedings, the pensioner was found guilty of grave misconduct or negligence during the period of service, including service rendered upon re-employment after retirement.

2. As per the amended Rule 8, approval of President shall be required only for ordering withholding/withdrawing pension or gratuity in the case of a pensioner who retired from a post for which President is the appointing authority and, in other cases, Secretary of the Administrative Ministry or Department shall be competent to order withholding/withdrawing pension or gratuity, if the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence during the period of service in any departmental or judicial proceedings. Similarly, the Comptroller and Auditor-General of India shall be competent to order withholding/withdrawing pension or gratuity in the case of a pensioner who retired from the Indian Audit and Accounts Department, for which an authority subordinate to the President is the appointing authority. Consultation with UPSC will also not be necessary in cases where the President is not the appointing authority

3. A provision for appeal against an order of an authority other than the President has also been made in the amended Rule 8(6A). Provisions for revision/review of the orders by the President have also been made in Rule 8(7) & Rule 8(8), respectively.

4. All Ministries/Departments are requested that the above amended provisions regarding power to withhold or withdraw pension/gratuity in case where the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence during the period of service may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits, for strict implementation.

(R.C Sethi)
Deputy Secretary to Government of India
Tel: 24635979

To,
All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list)

फा. सं.38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 26.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन की मंजूरी के लिए रकम और शर्तें।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन)नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन)नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन)नियमावली, 2021 के नियम 44 के उप-नियम (1) के अनुसार, ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो दस वर्ष से अन्यून की अर्हक सेवा पूर्ण करने के पश्चात नियम 33(अधिवर्षिता पेंशन), नियम 34(सेवानिवृत्ति पेंशन), नियम 35(राज्य सरकार में या उसके अधीन आमेलित किए जाने पर पेंशन), नियम 36(निगम, कंपनी या निकाय में या उसके अधीन आमेलित किए जाने पर पेंशन), नियम 37(सरकारी विभाग के किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप उसके अधीन आमेलित किए जाने पर पेंशन), नियम 38(सरकारी विभाग के केंद्रीय स्वायत्त निकाय में संपरिवर्तन किए जाने के परिणामस्वरूप उसके अधीन आमेलित किए जाने पर पेंशन) या नियम 39(अशक्त पेंशन) के अधीन सेवानिवृत्त होने पर पेंशन की मंजूरी का पात्र होगा। ऐसे सभी मामलों में पेंशन न्यूनतम नौ हज़ार रुपये प्रतिमास और अधिकतम एक लाख पच्चीस हज़ार रुपये प्रतिमास की सीमा के अधीन रहते हुए, परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों के पचास प्रतिशत की दर से, जो भी उसके लिए अधिक लाभप्रद हो परिकलित की जाती है।

2. उपरोक्त नियम में आगे यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो दस वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने से पूर्व ही नियम 39 के अधीन सेवानिवृत्त होता है, वह परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों के पचास प्रतिशत की दर से, जो भी उसके लिए अधिक लाभप्रद हो, परिकलित की गई अशक्त पेंशन के लिए भी पात्र होगा और उसके मामले में पेंशन की मंजूरी के लिए न्यूनतम दस वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने की शर्त लागू नहीं होगी यदि वह नियम 39 के उप नियम (9) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करता हो।

3. अर्हक सेवा काल की गणना करने में वर्ष का ऐसा भाग, जो तीन मास के बराबर या उससे अधिक हो, संपूरित छमाही अवधि माना जाता है और उसकी गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाती है। ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में जिसने नौ वर्ष और नौ मास या अधिक किन्तु दस वर्ष से अन्यून अर्हक सेवा दी है, तो इस नियम के प्रयोजनार्थ उसकी अर्हक सेवा दस वर्ष की होगी और वह तदनुसार पेंशन के लिए पात्र होगा।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन की मंजूरी के लिए रकम और शर्तों से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(आर.सी.सेठी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24635979

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 38/01(05)/2022-P&PW(A)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 26.10.2022

Office Memorandum

Subject: Amount and conditions for grant of pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with sub-rule (1) of Rule 44 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021, a Government servant, becomes eligible for grant of a pension on retirement under rule 33 (Superannuation Pension), rule 34 (Retiring Pension), rule 35 (Pension on absorption in or under a State Government), rule 36 (Pension on absorption in or under a corporation, company or body), rule 37 (Pension on absorption consequent upon conversion of a Government Department into a Public Sector Undertaking), rule 38 (pension on absorption consequent upon conversion of a Government Department into a Central Autonomous Body) or rule 39 (Invalid Pension), after completing a qualifying service of not less than ten years. The pension in all such cases is calculated at the rate of fifty per cent of emoluments or average emoluments, whichever is more beneficial to him, subject to a minimum of nine thousand rupees per month and maximum of one lakh twenty-five thousand rupees per month.

2. The above rule further provides that a Government servant who retires on Invalid Pension under rule 39 before completing a qualifying service of ten years shall also be eligible for an invalid pension calculated at fifty per cent of emoluments or average emoluments, whichever is more beneficial to him and the condition of completion of minimum qualifying service of ten years shall not be applicable for grant of pension in his case if he/she fulfils the conditions mentioned in sub-rule (9) of rule 39.

3. In calculating the length of qualifying service, fraction of a year equal to three months and above is treated as a completed six monthly period and reckoned as qualifying service. In the case of a Government servant who has rendered a qualifying service of nine years and nine months or more but less than ten years, his qualifying service for the purpose of this rule shall be ten years and he shall be eligible for pension according

4. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding grant of pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(R.C Sethi)
Deputy Secretary to Government of India
Tel: 24635979

To,
All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list)

फा. सं.38/01(05)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 26.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन अतिरिक्त पेंशन और अतिरिक्त कुटुंब पेंशन की मंजूरी के लिए रकम और शर्तें।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन)नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 44 के उप-नियम (6) के अनुसार, किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु होने के बाद, उस सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को निश्चित अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता संदेय है। इसी प्रकार, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन)नियमावली, 2021 के नियम 50 के उप-नियम (3) के अनुसार, किसी कुटुंब पेंशनभोगी के अस्सी वर्ष की आयु पूरा करने के बाद अतिरिक्त कुटुंब पेंशन संदेय है।

2. ऐसी अतिरिक्त पेंशन/कुटुंब पेंशन कैलेंडर मास, जिसमें यह देय होती है, के पहले दिन से संदेय होगी। उदाहरण के लिए यदि किसी पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी की जन्मतिथि 20 अगस्त, 1942 है, तो वह 1 अगस्त, 2022 से मूल पेंशन/कुटुंब पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन/कुटुंब पेंशन पाने का पात्र होगा। किसी पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी की जन्मतिथि 1 अगस्त, 1942 है, तो वह भी 1 अगस्त, 2022 से मूल पेंशन/कुटुंब पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन पाने का पात्र होगा।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों और पेंशन संवितरण प्राधिकारियों/बैंकों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन अतिरिक्त पेंशन और अतिरिक्त कुटुंब पेंशन की मंजूरी से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(आर.सी.सेठी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24635979

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 38/01(05)/2022-P&PW(A)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 26.10.2022

Office Memorandum

Subject: Amount and conditions for grant of additional pension and additional family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with sub-rule (6) of Rule 44 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021, after completion of eighty years of age or above by a retired Government servant, certain additional pension or additional compassionate allowance is payable to the retired Government servant. Similarly, in accordance with sub-rule (3) of Rule 50 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021, additional family pension is payable to after completion of eighty years of age or above of a family pensioner.

2. Such additional pension/family pension is payable from first day of the calendar month in which it falls due. For example, a pensioner/family pensioner born on 20th August, 1942 shall be eligible for additional pension/family pension at the rate of twenty percent of the basic pension/family pension with effect from 1st August, 2022. A pensioner/family pensioner born on 1st August, 1942 shall also be eligible for additional pension/family pension at the rate of twenty percent of the basic pension with effect from 1st August, 2022.

3. All Ministries/Departments and Pension Disbursing Authorities/Banks are requested that the above provisions regarding grant of additional pension and family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits, for strict implementation.

(R.C Sethi)
Deputy Secretary to Government of India
Tel: 24635979

To,
All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list)

फा. सं.1/1(1)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 26.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: कुटुंब का ऐसा सदस्य, जिसका नाम प्ररूप 4 या कार्यालय रिकार्ड में सम्मिलित नहीं है, को, कुटुंब पेंशन की मंजूरी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 50 सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के दिवंगत होने पर कुटुंब पेंशन के संदाय से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(15) के अनुसार, जैसे ही सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा में प्रविष्ट होता है, वह अपने कुटुंब का ब्यौरा प्ररूप 4 में कार्यालय अध्यक्ष को देगा, जिसमें उसके कुटुंब(कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो या न हो) के निम्नलिखित सदस्यों से संबंधित सभी सुसंगत ब्यौरे सम्मिलित होंगे:

(i) पति/पत्नी, न्यायिक रूप से पृथक पति/पत्नी सम्मिलित है

(ii) पुत्र/पुत्री, चाहे प्ररूप 3 जमा करने की तारीख पर कुटुंब पेंशन के लिए पात्र है या नहीं और सभी बच्चों(मृत या तलाकशुदा पत्नी से या अमान्य या अमान्यकरणीय विवाह से जन्मे बच्चों सहित) के ब्यौरे;

(iii) माता-पिता

(iv) नि:शक्त सहोदर;

सरकारी कर्मचारी अपने कुटुंब की सदस्य संख्या में हुए किसी भी पश्चातवर्ती परिवर्तन की, जिसके अंतर्गत उसके बच्चे का विवाह संबंधी तथ्य भी है, संसूचना कार्यालय अध्यक्ष को देगा।

3. कार्यालय अध्यक्ष उक्त प्ररूप 4 की प्राप्ति पर, सत्यापित करेगा कि इस नियम के अनुसार यह सरकारी कर्मचारी द्वारा ठीक से भरा गया है और उक्त प्ररूप 4 की प्राप्ति की तारीख उपदर्शित करते हुए इसकी प्राप्ति अभिस्वीकृत करेगा और उसे संबद्ध सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका पर चिपकाएगा। कार्यालय अध्यक्ष सरकारी कर्मचारी से इस निमित्त प्राप्त और सभी संसूचनाओं को भी उनकी प्राप्ति की तारीख उपदर्शित करते हुए अभिस्वीकृत करेगा। कार्यालय अध्यक्ष, कुटुंब की सदस्य संख्या में हुए किसी भी परिवर्तन के बारे में सरकारी कर्मचारी

से किसी संसूचना की प्राप्ति पर, उक्त परिवर्तन को अपने हस्ताक्षर के अंतर्गत प्ररूप 4 में समाविष्ट करवाएगा और कुटुंब के सदस्य की नि:शक्तता या वैवाहिक प्रास्थिति में परिवर्तन से संबंधित तथ्य को प्ररूप 4 के 'टिप्पणी' स्तम्भ में उपदर्शित किया जाएगा।

4. सरकारी कर्मचारी, सरकारी सेवा से सेवानिवृत होने से पूर्व, पेंशन कागजातों के साथ प्ररूप 4 में कुटुंब के अद्यतित ब्यौरे पुनः प्रस्तुत करेगा। जहां कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के पश्चात् विवाह या पुनर्विवाह करता है या सरकारी कर्मचारी का कोई बच्चा जन्म लेता है, तो वह ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से, यथास्थिति, विवाह प्रमाणपत्र या जन्म प्रमाणपत्र की एक प्रति सहित प्ररूप 5 में कार्यालय अध्यक्ष को इस आशय की संसूचना देगा।

5. जहां बच्चे के जन्म या किसी बच्चे या सहोदर की नि:शक्तता होने अथवा पुत्री का तलाक होने या पुत्री के पति की मृत्यु होने जैसी घटनाओं के कारण किसी सरकारी कर्मचारी के कुटुंब में उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् परिवर्तन होता है, जिससे कुटुंब का कोई सदस्य कुटुंब पैंशन का पात्र हो जाए, तो सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी या यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पहले हो गयी हो, तो उसका या उसकी पति/पत्नी या कुटुंब का कोई अन्य सदस्य जो कुटुंब पैंशन प्राप्त कर रहा हो, कार्यालय अध्यक्ष को समर्थित दस्तावेजों साहित इस आशय की संसूचना देगा और कार्यालय अध्यक्ष उक्त संसूचना की प्राप्ति अभीस्वीकृत करते हुए संसूचना की एक प्रति लौटाएगा।

6. उपरोक्त प्रावधानों के बावजूद, किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात्, परिवार का कोई सदस्य, जिसका नाम प्ररूप 4 में सम्मिलित नहीं है, कुटुंब पेंशन के लिए दावा प्रस्तुत करता है, तो कुटुंब के ऐसे सदस्य के दावे को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जाएगा कि कुटुंब के ऐसे सदस्य का ब्यौरा प्ररूप 4 या कार्यालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, यदि कुटुंब पेंशन की मंजूरी के लिए कुटुंब के सदस्य की पात्रता के संबंध में कार्यालय अध्यक्ष का, अन्यथा समाधान हो जाए।

7. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि कुटुंब का ऐसा सदस्य, जिसका नाम प्ररूप 4 या कार्यालय रिकार्ड में सम्मिलित नहीं है, को कुटुंब पेंशन की मंजूरी से संबंधित उपर्युक्त उपबंधों का, सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पैंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

विशाल

(विशाल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24644632

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 1/1(1))/2022-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 26.10.2022

Office Memorandum

Subject: Grant of family pension to a member of the family, whose name is not included in Form 4 or office records,

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. Rule 50 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 deals with payment of family pension on death of a Government servant/pensioner.

2. In accordance with Rule 50(15) of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021, a Government servant enters Government service, is required to give details of his family in Form 4 to the Head of Office, which shall include all relevant details relating to following members of his/her family (whether or not eligible for family pension):

(i) Wife or husband, including a judicially separated wife or husband;
(ii) Son or daughter, whether or not eligible for family pension on the date of submission of Form 3 and the details of all children (including those from a deceased or divorced wife or from a void or voidable marriage);
(iii) Parents;
(iv) Disabled siblings.

The Government servant is also required to communicate to the Head of Office any subsequent change in the size of his family, including the fact of marriage of his child.

3. On receipt of the said Form 4, the Head of Office is required to verify that it has been properly filled by the Government servant in accordance with this rule and acknowledge receipt of the said Form 4 indicating the date of its receipt and get it pasted on the service book of the Government servant concerned. All further communications received from the Government servant in this behalf are also required to be acknowledged by the Head of Office indicating the date of their receipt. The Head of Office on receipt of communication from the Government servant regarding any change in the size of family shall have such a change incorporated in Form 4 under his signature and the fact regarding disability or change of marital status of a family member shall be indicated in the 'Remarks' column of Form 4;

4. The Government servant is required to submit the upto date details of the family in Form 4 again along with the pension papers, before retirement from Government service. Where a Government servant marries or remarries or a child is born to the Government servant after retirement, he shall give intimation to this effect to the Head of Office in Form 5 along with a copy of the marriage certificate or birth certificate, as the case may be, from an authority competent to issue such certificate.

5. Where the family of a Government servant undergoes a change after his retirement rendering a member of the family to be eligible for family pension on account of events such as birth of a child or disability of a child or sibling or divorce of a daughter or death of husband of a daughter, the retired Government servant or, if the Government servant has already died, his or her spouse or any other member of the family in receipt of the family pension, may give an intimation to this effect along with the

supporting documents to the Head of Office and the Head of Office shall return a copy of the intimation acknowledging the receipt of the said intimation.

6. Notwithstanding the above provisions, in case after the death of a Government servant or a pensioner, a member of the family, whose name is not included in Form 4, submits a claim for family pension, the claim of a member of the family shall not be rejected on the ground that the details of such member of the family are not available in Form 4 or office records, if the Head of Office is otherwise satisfied about the eligibility of the member of the family for grant of family pension.

7. All Ministries/Departments are requested that the above provisions relating to grant of family pension to a member of the family, whose name is not included in Form 4 or office records, may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(Vishal Kumar)
Under Secretary to Government of India
Tel: 24644632

To

All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list).-

फा. सं.1/1(1)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 26.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:जहां प्रथम पात्र सदस्य सरकारी कर्मचारी की हत्या करने के अपराध या ऐसे किसी अपराध को करने के दुष्प्रेरण के लिए आरोपित किया गया है, कुटुंब के अन्य पात्र सदस्य को कुटुंब पेंशन की मंजूरी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 50 सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के दिवंगत होने पर कुटुंब पेंशन के संदाय से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021के नियम 50(14) के अनुसार,यदि कोई व्यक्ति, जो सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु की दशा में, कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र है, सरकारी कर्मचारी की हत्या करने के अपराध या ऐसे किसी अपराध (आत्महत्या द्वारा मृत्युके लिए दुष्प्रेरण भी सम्मिलित है) को करने के दुष्प्रेरण के लिए आरोपित किया गया है, तो ऐसे व्यक्तिके विरुद्ध संस्थित दांडिक कार्यवाहियों की समाप्ति तक उसे कुटुंब पेंशन का संदाय नहीं किया जाएगा।जिस अवधि के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति को कुटुंब पेंशन का संदायनहीं किया जाता है, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के बाद की तारीख से कुटुंब के अन्य पात्र सदस्य, यदि कोई हो, को कुटुंब पेंशन का संदाय किया जाएगा।

3. यदि सरकारी कर्मचारी के पति या पत्नी को सरकारी कर्मचारी की हत्या करने के अपराध या ऐसे किसी अपराध को करने के दुष्प्रेरण के लिए आरोपित किया गया है और कुटुंब पेंशन के लिए पात्र कुटुंब का अन्य सदस्य मृतक सरकारी कर्मचारी का अवयस्क बच्चा है,ऐसे अवयस्क बच्चे को कुटुंब पेंशन विधिवत नियुक्त संरक्षक के माध्यम से देय होगी, और अवयस्क बच्चे के माता या पिता कुटुंब पेंशन के आहरण के प्रयोजन के लिए संरक्षक नहीं बन सकेंगे।

4. यदि दांडिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर संबद्ध व्यक्ति,सरकारी कर्मचारी की हत्या करने के लिए अथवा हत्या करने के दुष्प्रेरण के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है,तो ऐसा व्यक्ति कुटुंब पेंशन प्राप्त करने से विवर्जित कर दिया जाएगा, जिसका संदाय कुटुंब के अन्य पात्र सदस्य

को,यदि कोई हो, जारी रहेगा।यदि संबंधित व्यक्ति सरकारी कर्मचारी की हत्या करने के अथवा हत्या करने के दुष्प्रेरण के आरोप से दोषमुक्त कर दिया जाता है,तो ऐसे व्यक्ति को दोषमुक्ति की तारीख से कुटुंब पेंशन देय होगी और उस तारीख से कुटुंब के अन्य सदस्य को कुटुंब पेंशन बंद कर दी जाएगी।

5. यदि कुटुंब का कोई अन्य पात्र सदस्य नहीं था या कुटुंब पेंशन संबंधित व्यक्ति के बरी होने की तारीख से पूर्व कुटुंब के अन्य पात्र सदस्य को मिलनी बंद हो गई थी, तो ऐसे व्यक्ति को कुटुंब पेंशन यथास्थिति,सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के पश्चात् की तारीख से या उस तारीख से जिस तारीख से कुटुंब के अन्य पात्र सदस्य को कुटुंब पेंशन मिलनी बंद हो गई थी, संदेय होगी।

6. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि प्रथम पात्र सदस्य को सरकारी कर्मचारी की हत्या करने के अपराध या ऐसे किसी अपराध को करने के दुष्प्रेरण के लिए आरोपितकिए जाने पर, कुटुंब के अन्य पात्र सदस्य को कुटुंब पेंशन का संदाय करने से संबंधित उपर्युक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु,इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

विशाल

(विशाल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24644632

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 1/1(1))/2022-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 26.10.2022

Office Memorandum

Subject: Grant of family pension to other eligible member of the family where first eligible member is charged with offence of murdering the Government servant or for abetting in commission of such an offence.

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. Rule 50 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 deals with payment of family pension on death of a Government servant/pensioner.

2. In accordance with Rule 50(14) of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021, if a person, who in the event of death of a Government servant or pensioner, is eligible to receive family pension, is charged with the offence of murdering the Government servant or for abetting in the commission of such an offence (including the charge of abetting death by suicide), the family pension shall not be paid to such a person till the conclusion of the criminal proceedings instituted against him. During the period the family pension is not paid to such person, the family pension shall be paid to other eligible member of the family, if any, from the date following the date of death of the Government servant.

3. If the spouse of the Government servant is charged with the offence of murdering the Government servant or for abetting in the commission of such an offence and the other member of the family eligible for family pension is a minor child of the deceased Government servant, the family pension to such minor child shall be payable through a duly appointed guardian, and the mother or father of the minor child shall not act as guardian for the purpose of drawal of family pension.

4. If on the conclusion of the criminal proceedings, the person concerned is convicted for the murder or abetting in the murder of the Government servant, such a person shall be debarred from receiving the family pension which shall be continued to be paid to other eligible member of the family, if any. If the person concerned is acquitted of the charge of murder or abetting in the murder of the Government servant, the family pension shall become payable to such a person-from the date of such acquittal and the family pension to other member of the family shall be discontinued from that date.

5. **If there was no other eligible member of the family or the family pension ceased to be payable to the other eligible member of the family before the date of acquittal of the person concerned, the family pension shall be payable to such a person from the date following the date of death of the Government servant or from the date on which family pension ceased to be payable to the other eligible member of the family, as the case may be.**

6. All Ministries/Departments are requested that the above provisions relating to grant of family pension to other eligible member of the family where first eligible member is charged with offence of murdering the Government servant or for abetting in commission of such an offence may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(Vishal Kumar)
Under Secretary to Government of India
Tel: 24644632

To

All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list)

फा. सं.1/1(1)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 26.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के माता/पिता को कुटुंब पेंशन की मंजूरी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 50 मृतक सरकारी कर्मचारी/ पेंशनभोगी के माता/पिता को कुटुंब पेंशन का संदाय करने से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(10) के अनुसार, जहां किसी मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की कुटुंब पेंशन के लिए विधवा या विधुर अथवा पात्र बच्चा उत्तरजीवी नहीं है या यदि विधवा या विधुर और सभी बच्चों की कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता समाप्त हो जाती है, तो माता-पिता को आजीवन कुटुंब पेंशन देय होगी, यदि माता-पिता सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु से ठीक पूर्व उस पर आश्रित थे। माता-पिता सरकारी कर्मचारी पर आश्रित समझे जाएंगे यदि उनकी संयुक्त आय न्यूनतम कुटुंब पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत से कम है। जहां माता-पिता को कुटुंब पेंशन अनुज्ञात हो, यह मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की माता को देय होगी, ऐसा न होने पर, मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पिता को देय होगी।

3. कुटुंब पेंशन पाने वाले माता-पिता का यह कर्तव्य होगा कि वे वर्ष में एक बार पेंशन संवितरण प्राधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि उन्होंने अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ नहीं किया है और माता-पिता को देय कुटुंब पेंशन उनकी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ करने पर बंद कर दी जाएगी।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के आश्रित माता/पिता को कुटुंब पेंशन का संदाय करने से संबंधित उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

विशाल

(विशाल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24644632

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 1/1(1))/2022-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 26.10.2022

Office Memorandum

Subject: Grant of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 to parents of a deceased Government servant/pensioner.

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. Rule 50 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 deals with payment of family pension on death of a Government servant/pensioner.

2. In accordance with Rule 50(10) of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021, where a deceased Government servant or pensioner is not survived by a widow or widower or a child eligible for family pension or if the widow or widower and all children cease to be eligible for family pension, the family pension is payable to the parents for life, if the parents were dependent on the Government servant or pensioner immediately before his or her death. Parents are deemed to be dependent on the Government servant if their combined income is less than the minimum family pension and the dearness relief admissible thereon. The family pension to parents is payable to the mother of the deceased Government servant or pensioner failing which to the father of the deceased Government servant or pensioner.

3. Parents receiving family pension are required to furnish a certificate to the Pension Disbursing Authority once in a year that they have not started earning their livelihood and the family pension payable to parents shall be stopped if they start earning their livelihood.

4. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding grant of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 to dependent parents of a deceased Government servant/pensioner may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(Vishal Kumar)
Under Secretary to Government of India
Tel: 24644632

To

All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list).-

फा. सं.1/1(1)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 26.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन कुटुंब पेंशन की मंजूरी के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आय संबंधी दस्तावेज।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 50 सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के दिवंगत होने पर कुटुंब पेंशन के संदाय से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(12) के अनुसार, मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के कुटुंब के किसी सदस्य (पति/पत्नी के अतिरिक्त) को कुटुंब पेंशन का संदाय किया जाता है/जारी रखा जाता है, यदि वह अपनी आजीविका उपार्जन नहीं कर रहा/रही है। मानसिक और शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त बच्चे या सहोदर के अलावा कुटुंब के अन्य सदस्य द्वारा अपनी आजीविका का उपार्जन करना समझा जाएगा यदि अन्य स्त्रोतों से उसकी आय, न्यूनतम कुटुंब पेंशन (अर्थात 9,000/- रुपये प्रति मास) और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत के समतुल्य या अधिक है। तथापि, किसी मानसिक और शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त बच्चे या सहोदर का अपनी आजीविका उपार्जन नहीं करना समझा जाएगा यदि कुटुंब पेंशन के अलावा अन्य स्त्रोतों से उसकी कुल आय, संबंधित सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु पर देय अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत से कम है।

3. इस नियम के अधीन कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता तय करने के लिए, मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की विधवा या विधुर के अलावा, कुटुंब के अन्य सदस्य को कुटुंब पेंशन के लिए अपने दावे के साथ, आयकर विभाग के साथ उक्त कुटुंब के सदस्य द्वारा दाखिल अंतिम आयकर विवरणी की एक प्रति प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी। यदि उक्त कुटुंब सदस्य यह सूचित करता है कि उसने आयकर विभाग के साथ अंतिम आयकर विवरणी दाखिल नहीं की है, तो उसे उपप्रभागीय मजिस्ट्रेट से आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कुटुंब सदस्य आयकर विवरणी की प्रति या उपप्रभागीय मजिस्ट्रेट से आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो

कार्यालय अध्यक्ष उक्त सदस्य द्वारा उसके दावे के समर्थन में आय के संबंध में प्रस्तुत किए गए किसी अन्य दस्तावेज़ पर विश्वास कर सकता है और तदनुसार कुटुंब पैंशन के लिए कुटुंब के उक्त सदस्य की पात्रता तय कर सकता है।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पैंशन) नियमावली, 2021 के अधीन कुटुंब पैंशन की मंजूरी के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आय संबंधी दस्तावेजों से संबंधित उपर्युक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पैंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

विशाल

(विशाल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24644632

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 1/1(1))/2022-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 26.10.2022

Office Memorandum

Subject: Documents regarding income required to be submitted for deciding eligibility for grant of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. Rule 50 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 deals with payment of family pension on death of a Government servant/pensioner.

2. In accordance with Rule 50(12) of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021, family pension to a member of the family (other than spouse) of a deceased Government servant/pensioner is paid/continued, if he/she is not earning his/her livelihood. A member of the family, other than a son or a daughter or a sibling suffering from a mental or physical disability, is deemed to be earning his or her livelihood if his or her income from other sources is equal to or more than the minimum family pension (i.e. Rs. 9000/- per month) and the dearness relief admissible thereon. However, a child /sibling suffering from a mental or physical disability is deemed to be not earning his or her livelihood, if his or her overall income from sources other than family pension is less than the entitled family pension and the dearness relief admissible thereon, payable on death of the Government servant or pensioner concerned.

3. In order to decide the eligibility for family pension, a member of the family, other than the widow or widower of the deceased Government servant or pensioner, is required to submit, along with the claim for family pension, a copy of the last Income Tax Return filed by the said member of the family with the Income Tax Department. In case the said member of the family informs that he or she has not filed the Income Tax Return with the Income Tax Department, he or she shall submit a certificate of income from a sub-divisional magistrate. In case the member of the family is not able to submit either a copy of the Income Tax Return or a certificate of income from a sub-divisional magistrate, the Head of Office may rely on any other document produced by the said member of the family in support of his or her claim regarding income and decide the eligibility of the said member of the family for family pension accordingly.

4. All Ministries/Departments are requested that the above provisions relating to documents regarding income required to be submitted for deciding eligibility for grant of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(Vishal Kumar)
Under Secretary to Government of India
Tel: 24644632

To

All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list).-

सं.-1/1(1)/2022-पी&पीडबल्यू(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक: 26.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की अविवाहित या विधवा या तलाक़शुदा पुत्री को कुटुंब पेंशन की मंजूरी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 50 किसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन के संदाय से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(9) के अनुसार, किसी मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की अविवाहित या विधवा या तलाक़शुदा पुत्री, जो अपनी आजीविका का उपार्जन नहीं कर रही है, पच्चीस वर्ष की आयु होने के बाद भी या उसका विवाह होने तक या पुनर्विवाह होने तक, या उसका आजीविका उपार्जन प्रारम्भ करने तक, जो भी पहले हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जीवनपर्यंत कुटुंब पेंशन पाने की पात्र है-

(i) कुटुंब पेंशन पच्चीस वर्ष की आयु से कम बच्चे को या नियम 50 के अनुसार कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र नि:शक्त बच्चे को प्रारंभ में देय होगी।

(ii) अविवाहित या विधवा या तलाक़शुदा पुत्री अपने पिता/माता अथवा माता-पिता पर आश्रित थी जब वह जीवित था/थी या वे जीवित थे;

(iii) जहां कोई मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी अपने पीछे पच्चीस वर्ष की आयु से अधिक एक से अधिक अविवाहित या विधवा या तलाक़शुदा पुत्री को छोड़ जाता है, तो कुटुंब पेंशन उनके जन्म के क्रम में, प्रथमत: ऐसी पुत्री को देय होगी जो कुटुंब पेंशन की अनुज्ञा के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करती हो;

(iv) ज्येष्ठ पुत्री अपना विवाह या पुनर्विवाह होने तक अथवा अपनी आजीवका उपार्जन प्रारम्भ करने तक, जो भी पहले हो, कुटुंब पेंशन के लिए हकदार होगी और ज्येष्ठ के विवाह या पुनर्विवाह होने पर या अपनी आजीविका उपार्जन प्रारम्भ करने पर या उसकी मृत्यु होने पर, अगली कनिष्ठ पुत्री कुटुंब पेंशन के लिए पात्र होगी;

(v) विधवा पुत्री की दशा में, उसके पति के मृत्यु और तलाक़शुदा पुत्री की दशा में, उसका तलाक, सरकारी कर्मचारी या पैंशनभोगी या उसके/उसकी पति/पत्नी के जीवित रहते हुए हुआ हो। तथापि, कुटुंब पैंशन तलाक़शुदा पुत्री को उसके तलाक की तारीख से तब देय होगी यदि सरकारी कर्मचारी या पैंशनभोगी या उसके/उसकी पति/पत्नी के जीवित रहते हुए सक्षम न्यायालय में तलाक की कार्यवाही दायर की गई थी किन्तु तलाक उनकी मृत्यु के पश्चात् हुआ। ऐसे मामलों में, यदि सरकारी कर्मचारी या पैंशनभोगी और उसके या उसकी पति या पत्नी की मृत्यु होने पर, कुटुंब के किसी अन्य पात्र सदस्य को, पुत्री के तलाक की तारीख से पूर्व कुटुंब पैंशन संदेय हो गई हो, तो ऐसी तलाकशुदा पुत्री को कुटुंब पैंशन तब तक शुरू नहीं की जाएगी जब तक कि उपरोक्त सदस्य कुटुंब पैंशन के लिए अपात्र न हो जाए या उसकी मृत्यु न हो जाए।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पैंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी मृतक सरकारी कर्मचारी/पैंशनभोगी की अविवाहित या विधवा या तलाक़शुदा पुत्री को कुटुंब पैंशन की मंजूरी से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पैंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

विशाल

(विशाल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24644632

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 1/1(1))/2022-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 26.10.2022

Office Memorandum

Subject: Grant of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 to an unmarried or widowed or divorced daughter of a deceased Government servant/pensioner.

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. Rule 50 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 deals with payment of family pension on death of a Government servant/pensioner.

2. In accordance with Rule 50(9) of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021, an unmarried or widowed or divorced daughter of a deceased Government servant/pensioner, who is not earning her livelihood, is eligible for family pension beyond the age of twenty-five years for life or until she gets married or re-married or until she starts earning her livelihood, whichever is the earliest, subject to the following conditions-

(i) The family pension shall be initially payable to the children below the age of twenty-five years or to a disabled child eligible to receive family pension in accordance with Rule 50.
(ii) The unmarried or widowed or divorced daughter was dependant on her parent or parents when he or she or they were alive;
(iii) Where a deceased Government servant or pensioner leaves behind more than one unmarried or widowed or divorced daughter beyond the age of twenty-five years, family pension shall first be payable to such daughter, who fulfil the eligibility conditions for grant of family pension, in the order of their birth;
(iv) The elder daughter shall be entitled to the family pension till she has got married or remarried or has started earning her livelihood, whichever is earlier and the younger of the daughters will be eligible for family pension after the elder next above her has got married or remarried or has started earning her livelihood or has died;
(v) In the case of widowed daughter, death of her husband and in the case of divorced daughter, her divorce took place during the lifetime of the Government servant or pensioner or his or her spouse. However, family pension shall be payable to a divorced daughter from the date of divorce if the divorce proceedings were filed in a competent court during the life time of the Government servant or pensioner or his or her spouse but the divorce took place after their death. In such cases, if consequent on the death of the Government servant or pensioner and his or her spouse, the family pension to any other eligible member of the family has become payable before the date of divorce of daughter, the family pension to such divorced daughter shall not commence before the aforesaid member of the family ceases to be eligible for family pension or dies.

3. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding grant of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 to an unmarried or widowed or divorced daughter of a deceased Government servant/pensioner may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(Vishal Kumar)
Under Secretary to Government of India
Tel: 24644632

To

All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list).-

सं.-1/1(1)/2022-पी&पीडबल्यू(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक: 26.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे या सहोदर को कुटुंब पेंशन की मंजूरी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 50 किसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन के संदाय से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(9) के अनुसार, किसी मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का पुत्र या पुत्री या सहोदर जो मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त है और अपनी आजीविका का उपार्जन नहीं कर रहा है, जीवनपर्यन्त कुटुंब पेंशन पाने का पात्र है। मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चा/सहोदर द्वारा अपनी आजीविका का उपार्जन करना समझा जाएगा यदि कुटुंब पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उसकी कुल आय पात्र संबंधित सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु पर देय कुटुंब पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत से कम है।

3. जहां कोई मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी एक से अधिक बच्चों को अपने पीछे छोड़ जाता है, तो कुटुंब पेंशन सर्वप्रथम पच्चीस वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को उनके जन्म के क्रम में, देय होगी जो अधीन कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता के सभी शर्तों को पूरा करते हों। जहां किसी मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पच्चीस वर्ष से कम आयु के और कुटुंब पेंशन के लिए पात्र उत्तरजीवी पुत्र या पुत्री न हों अथवा ऐसे पुत्र या पुत्री की मृत्यु हो गई हो या कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता समाप्त हो गई हो, तो ऐसे पुत्र या पुत्री को जो मानसिक मंदता सहित किसी भी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त हो या शारीरिक रूप से निःशक्त या

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 के 49), में निर्दिष्ट किसी अन्य नि:शक्तता से ग्रस्त हो जिसके कारण पच्चीस वर्ष की आयु का हो जाने पर भी वह अपनी आजीविका उपार्जन करने में असमर्थ हो, को निम्न शर्तों के अध्यधीन कुटुंब पेंशन जीवनपर्यन्त देय होगी:-

(i) सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी और उसके पति या पत्नी की मृत्यु से पहले नि:शक्तता मौजूद हो;

(ii) ऐसे पुत्र या पुत्री को जो मानसिक मंदता सहित किसी भी मानसिक विकार या नि:शक्तता से ग्रस्त हो, कुटुंब पेंशन का भुगतान, संरक्षक के माध्यम से किया जाएगा, जैसे वह अवयस्क हो। मानसिक रूप से मंद पुत्र या पुत्री की दशा में कुटुंब पेंशन, यथास्थिति, सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी द्वारा नामित व्यक्ति को देय होगी और यदि ऐसे सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी द्वारा उसके जीवनकाल के दौरान कार्यालय अध्यक्ष को ऐसा कोई भी नामांकन प्रस्तुत नहीं किया गया हो, तो यथास्थिति, ऐसे सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पति/पत्नी द्वारा नामित व्यक्ति को संदेय होगी और बाद में उक्त अधिनियम में यथा उपदर्शित स्वरपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुल नि:शक्तता ग्रस्त व्यक्ति की बाबत कुटुंब पेंशन मंजूर करने के लिए संरक्षक के नामांकन या उसकी नियुक्ति के लिए, स्थानीय स्तर की समिति द्वारा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999(1999 के 44) की धारा 14 के अधीन जारी किया गया संरक्षकता प्रमाणपत्र भी स्वीकार किया जाएगा;

(iii) ऐसे किसी भी पुत्र या पुत्री को कुटुंब पेंशन की आजीवन अनुज्ञा देने से पूर्व, नियुक्ति प्राधिकारी यह समाधान करेगा कि नि:शक्तता ऐसी प्रकृति की है, जिसके कारण वह अपनी आजीविका उपार्जन करने में असमर्थ है और इसे निम्न द्वारा प्राप्त प्रमाणपत्र से साक्ष्यित किया जाएगा,-

(क) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 के 49), दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और अधिसूचनाओं के अनुसार नि:शक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी; या

(ख) एक मेडिकल बोर्ड जिसमें एक चिकित्सा अधीक्षक या एक प्रधानाचार्य या एक निदेशक या संस्था के प्रमुख या अध्यक्ष के रूप में उनके नामिती और दो अन्य सदस्यों शामिल हों, जिसमें से कम से कम एक व्यक्ति नि:शक्तता के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा, जहां तक संभव हो, बालक की मानसिक या शारीरिक स्थिति को यथावत उपवर्णित करेगा।

ऐसा पुत्र या पुत्री या ऐसे पुत्र या पुत्री के संरक्षक के रूप में कुटुंब पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति, यदि नि:शक्तता स्थायी है तो एक बार, और यदि नि:शक्तता अस्थायी है, तो हर पांच वर्ष में एक बार उपरोक्त चिकित्सा प्राधिकारी से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह अभी भी खंड में निर्दिष्ट नि:शक्तता से ग्रस्त है।

(iv) खंड(ज) में निर्दिष्ट नि:शक्तता से ग्रस्त बच्चा विवाह करने पर कुटुंब पेंशन के लिए अपात्र नहीं होगा।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त बच्चे या सहोदर को कुटुंब पेंशन की मंजूरी से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

विशाल

(विशाल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24644632

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 1/1(1))/2022-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 26.10.2022

Office Memorandum

Subject: Grant of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 to a child or sibling of a deceased Government servant/pensioner suffering from a mental or physical disability.

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. Rule 50 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 deals with payment of family pension on death of a Government servant/pensioner.

2. In accordance with Rule 50(9) of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021, a son or daughter or sibling of a deceased Government servant/pensioner, who is suffering from a mental or physical disability and is not earning his or her livelihood, is eligible for family pension for life. A child/sibling suffering from a mental or physical disability shall be deemed to be not earning his or her livelihood, if his or her overall income from sources other than family pension is less than the entitled family pension and the dearness relief admissible thereon, payable on death of the Government servant or pensioner concerned.

3. Where a deceased Government servant or pensioner leaves behind more children than one, family pension shall first be payable to children below the age of twenty-five years, who fulfill the eligibility conditions for grant of family pension, in the order of their birth. Where a deceased Government servant or pensioner is not survived by a son or daughter below the age of twenty-five years and eligible for family pension or where such son or daughter has died or has ceased to be eligible for family pension, the family pension shall be payable for life to a son or daughter who is suffering from any disorder or disability of mind including the mentally retarded or is physically disabled or suffering from any other disability referred to in the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of twenty-five years, subject to the following conditions:-

(i) The disability existed before the death of the Government servant or pensioner and his or her spouse;
(ii) The family pension shall be paid to a son or daughter, who is suffering from any disorder or disability of mind including the mentally retarded, through the guardian as if he or she were a minor. In the case of a mentally retarded son or daughter, the family pension shall be payable to a person nominated by the Government servant or the pensioner, as the case may be, and in case no such nomination has been furnished to the Head of Office by such Government servant or pensioner during his lifetime, to the person nominated by the spouse of such Government servant or family pensioner, as the case may be, later on. The Guardianship Certificate issued under section 14 of the National Trust Act,1999 (44 of 1999), by a local level Committee, shall also be accepted for nomination or appointment of guardian for grant of family pension in respect of the person suffering from Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities as indicated in the said Act
(iii) Before allowing the family pension for life to any such son or daughter, the appointing authority shall satisfy that the disability is of such a nature so as to prevent him or her from earning his or her livelihood and the same shall be evidenced by a certificate obtained from,-

(A) an authority competent to issue disability certificate in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 and the guidelines and notifications issued by the Central Government or a State Government or a Union territory administration; or

(B) a Medical Board comprising of a Medical Superintendent or a Principal or a Director or Head of the Institution or his nominee as Chairman and two other members, out of which at least one shall be a Specialist in the particular area of disability, setting out, as far as possible, the exact mental or physical condition of the child.

Such son or daughter or the person receiving the family pension as guardian of such son or daughter shall produce a certificate, from above medical authorities once, if the disability is permanent and if the disability is temporary, once in every five years, to the effect that he or she continues to suffer from a disability referred to in clause.

(iv) Marriage by a child who is suffering from a disability referred to in clause (h) shall not render him or her ineligible for family pension.

4.. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding Grant of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 to a child or sibling of a deceased Government servant/pensioner suffering from a mental or physical disability may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(Vishal Kumar)
Under Secretary to Government of India
Tel: 24644632

To

All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list).-

सं.-1/1(1)/2022-पी&पीडबल्यू(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक: 26.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन कुटुंब पेंशन का सहभाजन।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 50 किसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन के संदाय से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(8) के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, कुटुंब पेंशन विधवा या विधुर को मृत्यु की तारीख तक या पुनर्विवाह होने तक, जो भी पहले हो, देय है। यदि मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी एक से अधिक विधवाओं को छोड़ जाता है, विधवाओं को बराबर अंशों में कुटुंब पेंशन का संदाय होगा और विधवा की मृत्यु या अपात्रता होने पर, कुटुंब पेंशन का उसका अंश उसके बच्चे या बच्चों के लिए देय होगा जो कुटुंब पेंशन की मंजूरी हेतु पात्रता शर्तों को पूरा करता है या करते हैं। यदि विधवा का कोई उत्तरजीवी बच्चा नहीं है, तो कुटुंब पेंशन का उसका अंश समाप्त नहीं होगा, किन्तु दूसरी विधवाओं को बराबर अंशों में देय होगा, या यदि केवल एक ही विधवा हो, तो पूर्ण रूप से उसे देय होगा।

3. यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की उत्तरजीवी निःसंतान विधवा हो और

(क) किसी अन्य पत्नी से, जो जीवित नहीं है,

(ख) तलाक़शुदा पत्नी से, या

(ग) किसी अमान्य या अमान्यकरणीय विवाह से

जन्मा पात्र बच्चा या बच्चे हों

तो कुटुंब पेंशन की मंजूरी के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करने वाला बच्चा या बच्चे, कुटुंब पेंशन के अंश का हकदार होगा या होंगे जो माता को उस दशा में मिलता जब वह उस सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु के समय जीवित होती या वह तलाक़शुदा नहीं होती या विवाह अमान्य या अमान्यकरणीय नहीं होता। ऐसे बच्चे या बच्चों को या विधवा या विधवाओं को देय कुटुंब पेंशन

का अंश या अंशों का संदाय बंद होने पर, ऐसा अंश या ऐसे सभी अंश समाप्त नहीं होंगे, किन्तु अन्यथा पात्र अन्य विधवा या विधवाओं और/या अन्य बच्चा या बच्चों को, बराबर अंशों में देय होगा, या केवल एक ही विधवा या बच्चा है, तो पूर्ण रूप से उसे देय होगा।

4. उपरोक्त मामलों में, यदि मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी कुटुंब पेंशन के लिए पात्र बच्चा या बच्चों सहित विधवा को छोड़ जाता है, तो विधवा को देय कुटुंब पेंशन के अंश का संदाय बंद होने पर, ऐसा अंश नियम 50 के अनुसार उसके बच्चे या बच्चों को देय होगा।

5. यदि कुटुंब पेंशन जुड़वां बच्चों को देय हो, तो ऐसे बच्चों को बराबर अंशों में संदेय होगी और जब उनमें से एक की पात्रता समाप्त हो जाए, तो उसका अंश दूसरे बच्चे को देय होगा और जब दोनों की पात्रता समाप्त हो जाए तो कुटुंब पेंशन अगले पात्र एकल बच्चे या जुड़वां बच्चों को देय होगी।

6. नियम 63 के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत होने पर, सरकारी कर्मचारी की पत्नी/पति, यदि जीवित हों, तो उसका नाम पेंशन संदाय आदेश में कुटुंब पेंशनभोगी के रूप में उपदर्शित किया जाएगा। यदि सरकारी कर्मचारी के कुटुंब में एक से अधिक पत्नियां हैं जो जीवित हैं, लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में सभी पत्नियों के नाम के साथ कुटुंब पेंशन में उनके क्रमशः अंश को उपदर्शित करेगा। यदि सरकारी कर्मचारी के कुटुंब में एक पत्नी है जो जीवित है, और अन्य मृतक पत्नी से या तलाक़शुदा पत्नी से अथवा अमान्य या अमान्यकरणीय विवाह से जन्मा बच्चा या बच्चे हैं, लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में, कुटुंब पेंशन में केवल उस पत्नी का नाम उसके अंश के साथ उपदर्शित करेगा जो जीवित है। पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, पेंशन संदाय आदेश में उपदर्शित कुटुंब पेंशन का अंश प्रारम्भ में उत्तरजीवी विधवा को संदेय होगा और कार्यालय अध्यक्ष से संसूचना प्राप्त होने पर, लेखा अधिकारी नियम 50 के अनुसार कुटुंब के सभी सदस्य जो पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख से कुटुंब पेंशन के पात्र हैं, के नाम और कुटुंब पेंशन में उनके अंश को उपदर्शित करते हुए एक संशोधित पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा।

7. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन कुटुंब पेंशन के सहभाजन से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(विशाल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24644632

सेवा में

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 1/1(1))/2022-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 26.10.2022

Office Memorandum

Subject: Sharing of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. Rule 50 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 deals with payment of family pension on death of a Government servant/pensioner.

2. In accordance with Rule 50(8) of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021, on death of a Government servant/pensioner, family pension is payable to the widow or widower upto the date of death or re-marriage, whichever is earlier. In cases where the deceased Government servant or pensioner is survived by more widows than one, the family pension shall be paid to the widows in equal shares and on the death or ineligibility of a widow, her share of the family pension shall become payable to her child or children who fulfill the eligibility conditions for grant of family pension. In case, the widow is not survived by any child, her share of the family pension shall not lapse but shall be payable to the other widows in equal shares, or if there is only one such other widow, in full, to her.

3. In cases where the deceased Government servant or pensioner is survived by a widow without any child and has also left behind eligible child or children:

(a) from another wife who is not alive, or
(b) from a divorced wife, or
(c) from a void or voidable marriage

the child or children who fulfill the eligibility conditions for grant of family pension shall be entitled to the share of family pension which the mother would have received if she had been alive at the time of the death of the Government servant/pensioner or if she had not been so divorced or if the marriage had not been void or voidable. On the share or shares of family pension payable to such a child or children or to a widow or widows ceasing to be payable, such share or shares shall not lapse, but shall be payable to the other widow or widows and/or to other child or children otherwise eligible), in equal shares, or if there is only one widow or child, in full, to such widow or child.

4. In the above cases, if the deceased Government servant/pensioner is survived by the widow with child or children eligible for family pension, on the share of family pension payable to the widow ceasing to be payable, such share shall be payable to her child or children in accordance with Rule 50.

5. In cases where family pension is payable to twin children, it shall be paid to such children in equal shares and when one such child ceases to be eligible, his or her share shall revert to the other child and when both of them cease to be eligible the family pension shall be payable to the next eligible single child or twin children.

6. In accordance with Rule 63, on retirement of a Government servant, the name of the spouse of the Government servant, if alive, is indicated as family pensioner in the Pension Payment Order. In cases where family of a Government servant includes more than one wife who is alive, the Accounts Officer shall indicate, in the Pension Payment Order, the names of all the wives with their respective share in the family pension. If family of a Government servant includes a wife, who is alive, and a child or children from a wife who is not alive or from a divorced wife or from a void or voidable marriage, the Accounts

Officer shall indicate, in the Pension Payment Order, only the name of wife who is alive with her share in the family pension, then on death of the pensioner, the share of family pension indicated in the Pension Payment Order shall initially become payable to the surviving widow and on receipt of a communication from the Head of Office, the Accounts Officer shall issue a revised Pension Payment Authority, indicating the names of all the members of family who are eligible for family pension on the date of death of the pensioner with their respective share in the family pension, in accordance with rule 50.

7. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding sharing of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(Vishal Kumar)
Under Secretary to Government of India
Tel: 24644632

To

All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list).-

सं.-1/1(1)/2022-पी&पीडबल्यू(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली,

दिनांक: 26.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः किसी नि:संतान विधवा का पुनर्विवाह होने पर केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन कुटुंब पेंशन की मंजूरी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 50 किसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन के संदाय से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(8) के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, कुटुंब पेंशन विधवा या विधुर को मृत्यु की तारीख तक या पुनर्विवाह होने तक, जो भी पहले हो, देय है और कुटुंब पेंशन के लिए विधवा या विधुर की पात्रता उसकी अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय की रकम से प्रभावित नहीं होती है। तथापि, नि:संतान विधवा द्वारा पुनर्विवाह करने पर, उसको कुटुंब पेंशन का संदाय जारी रहेगा, यदि अन्य सभी स्त्रोतों से उसकी आय न्यूनतम कुटुंब पेंशन(अर्थात 9000/- रूपए प्रति माह) की रकम और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत से कम है।

3. यदि नि:संतान विधवा के पुनर्विवाह करने के बाद सभी अन्य स्रोतों से होनेवाली उसकी आय न्यूनतम कुटुंब पेंशन की रकम और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत के समतुल्य या अधिक हो जाती है, तो उसको देय कुटुंब पेंशन बंद कर दी जाएगी और मृतक सरकारी कर्मचारी के कुटुंब के अन्य पात्र सदस्य, यदि कोई हो, को देय हो जाएगी।

4. यह निःसंतान विधवा का कर्तव्य होगा कि वह अपने पुनर्विवाह के पश्चात् पेंशन संवितरण प्राधिकारी को वर्ष में एक बार यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि उसने अन्य स्रोतों से अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारम्भ नहीं किया है, जो न्यूनतम कुटुंब पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत के बराबर या उससे अधिक है।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी निःसंतान विधवा का पुनर्विवाह होने पर कुटुंब पेंशन जारी रखने से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

विशाल

(विशाल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24644632

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 1/1(1))/2022-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 26.10.2022

Office Memorandum

Subject: Grant of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 on remarriage of a childless widow.

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. Rule 50 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 deals with payment of family pension on death of a Government servant/pensioner.

2. In accordance with Rule 50(8) of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021, on death of a Government servant/pensioner, family pension is payable to the widow or widower upto the date of death or re-marriage, whichever is earlier and the eligibility of widow or widower for family pension is not affected by the amount of her or his income from other sources. However, on re-marriage by a childless widow, family pension continues to be payable to her, if her income from all other sources is less than the amount of minimum family pension (i.e Rs. 9000/- per month) plus the dearness relief admissible thereon:

3. If after re-marriage, income of childless widow from all other sources becomes equal to or more than the amount of minimum family pension and the dearness relief admissible thereon, family pension payable to her shall be stopped and it shall become payable to the other eligible member of the family, if any, of the deceased Government servant.

4. It shall be the duty of a childless widow after her re-marriage to furnish a certificate to the Pension Disbursing Authority once in a year that she has not started earning income from other sources which is equal to or more than the minimum family pension and the dearness relief admissible thereon.

5. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding continuance of family pension on remarriage of a childless widow under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(Vishal Kumar)
Under Secretary to Government of India
Tel: 24644632

To,

All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list).-

सं.-1/1(1)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक: 26.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन कुटुंब पेंशन की रकम और परिस्थितियां जिनमें यह देय है।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 50 किसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन के संदाय से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(1) एवं 50(2) के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर निम्नलिखित मामलों में उसके परिवार को कुटुंब पेंशन देय है:

(i) एक वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण करने के पश्चात् किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर।

(ii) एक वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण करने से पूर्व किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर, परंतु यह तब जबकि संबद्ध मृतक सरकारी कर्मचारी की, सेवा या पद पर उसकी नियुक्ति के ठीक पूर्व समुचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जांच की गई हो और उस प्राधिकारी द्वारा उसे सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो; और

(iii) सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर, यदि वह अपनी मृत्यु की तारीख को इन नियमों में निर्दिष्ट पेंशन या अनुकंपा भत्ता पा रहा हो।

3. कुटुंब पेंशन की रकम न्यूनतम नौ हजार रुपये प्रतिमास और अधिकतम पचहत्तर हजार रुपये प्रतिमास के अध्यधीन वेतन के तीस प्रतिशत की एक समान दर पर अवधारित की जाती है। तथापि, निम्नलिखित परिस्थितियों में कुटुंब पेंशन बढ़ी हुई दर पर अर्थात वेतन के पचास प्रतिशत की दर पर देय है:

(i) किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के ठीक अगली तारीख से दस साल की अवधि के लिए संदेय होगी। बढ़ी हुई दर पर कुटुंब पेंशन का संदाय करने के लिए न्यूनतम सेवा की कोई भी शर्त नहीं है और यह उन सभी मामलों में देय होगी जहां पैरा 2(i) और 2(ii) के अनुसार कुटुंब पेंशन देय होती है।

(ii) सेवानिवृति के पश्चात् सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर, सात वर्ष की अवधि के लिए अथवा उस तारीख तक की अवधि के लिए जिस तारीख को सेवानिवृत मृतक सरकारी कर्मचारी 67 वर्ष की आयु का हो जाता यदि वह जीवित होता, इनमें से जो भी अवधि लघुतर हो, उस अवधि के लिए कुटुंब पेंशन संदेय होगी।

(iii) तथापि, बढ़ी हुई दर पर कुटुंब पेंशन की रकम किसी भी दशा में सेवानिवृति या सरकारी सेवा से पदच्युति(अनिवार्य सेवानिवृति पर प्राधिकृत पेंशन और सेवा से पदच्युति या हटाए जाने पर संस्वीकृत अनुकंपा भत्ता सहित) पर संस्वीकृत पेंशन से अधिक नहीं होगी।

(iv) यदि जहां प्राधिकृत पेंशन या अनुकंपा भत्ता की रकम सामान्य कुटुंब पेंशन(अर्थात वेतन का तीस प्रतिशत) की रकम से कम हो, वहां कुटुंब पेंशन वेतन के तीस प्रतिशत की सामान्य दर पर देय है।

(v) उपरोक्त(i) और (ii) पर निर्दिष्ट अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात, कुटुंब पेंशन वेतन के तीस प्रतिशत की दर पर देय है।

(vi) बढ़ी हुई दर पर संदेय कुटुंब पेंशन की रकम न्यूनतम नौ हजार रुपये प्रतिमास और अधिकतम एक लाख पच्चीस हजार रुपये प्रतिमास की सीमा के अधीन होगी।

4. नियम 50 के उप-नियम(3) के अनुसार कुटुंब पेंशनभोगी के अस्सी वर्ष या अस्सी वर्ष से अधिक की आयु पूरा करने के पश्चात अतिरिक्त कुटुंब पेंशन भी संदेय है

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन कुटुंब पेंशन की रकम और परिस्थितियां जिनमें यह देय है, से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

विशाल

(विशाल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24644632

सेवा में

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 1/1(1))/2022-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 26.10.2022

Office Memorandum

Subject: Amount of family pension and circumstances in which it is paid under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. Rule 50 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 deals with payment of family pension on death of a Government servant/pensioner.

2. In accordance with Rule 50(1) & (2) of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021, on death of a Government servant/pensioner, family pension is payable to the family in the following cases:

(i) On death of a Government servant after completion of one year of continuous service.

(ii) On death of a Government servant before completion of one year of continuous service, provided the deceased Government servant concerned immediately prior to his appointment to the service or post was examined by the appropriate medical authority and declared fit by that authority for Government service; and

(iii) On death of a Government servant after retirement from service, if he was in receipt of a pension, or compassionate allowance on the date of death.

3. The amount of family pension is determined at a uniform rate of thirty per cent of pay subject to a minimum of nine thousand rupees per month and a maximum of seventy-five thousand rupees per month. However, family pension is payable at enhanced rate, i.e. fifty per cent of the pay, in following circumstances:

(i) On death of a Government servant while in service, for a period of ten years from the date following the date of death of the Government servant. There is no condition of minimum service for payment of family pension at enhanced rate and it shall be paid in all cases where family pension has become payable as per para 2(i) and 2(ii) above.

(ii) On death of a Government servant after retirement, for a period of seven years, or for a period upto the date on which the retired deceased Government servant would have attained the age of sixty seven years had he survived, whichever is less.

(iii) The amount of family pension at enhanced rate shall, however, not exceed the pension authorised on retirement or dismissal (including pension authorised on compulsory retirement and compassionate allowance sanctioned on dismissal or removal from Government service).

(iv) In cases where the amount of pension or compassionate allowance authorised is less than even the normal family pension, (i.e. thirty per cent of pay), family pension is paid at normal rate of thirty per cent of pay.

(v) After the expiry of the period referred to at (i) and (ii) above, family pension is paid at the rate of thirty per cent of pay.

(vi) The amount of family pension payable at enhanced rate shall be subject to a minimum of nine thousand rupees per month and a maximum of one lakh twenty five thousand rupees per month.

4. Additional family pension is also payable after completion of the age of eighty years and above of the family pensioner in accordance with sub-rule (3) of Rule 50.

5. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding amount of family pension and circumstances in which it is paid under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(Vishal Kumar)
Under Secretary to Government of India
Tel: 24644632

To

All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list).

फा. सं.1/1(1)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पैंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 26.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन लापता सरकारी कर्मचारी या पैंशनभोगी या कुटुंब पैंशनभोगी के कुटुंब को कुटुंब पैंशन, उपदान, आदि की मंजूरी से संबंधित उपबंध।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पैंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(15) के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी या पैंशनभोगी या कुटुंब पैंशनभोगी के लापता होने की दशा में, कुटुंब पैंशन कुटुंब के किसी अन्य सदस्य या सदस्यों को संदेय है। सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी के लापता होने की दशा में, कुटुंब पैंशन(बढ़ी हुई दर पर कुटुंब पैंशन) उस तारीख के अगले दिन से देय होगी जिस तारीख तक सरकारी कर्मचारी के लापता होने से पहले उसे अवकाश स्वीकृत किया गया था अथवा उस तारीख से जिस तारीख तक सरकारी कर्मचारी को वेतन एवं भत्तों का भुगतान कर दिया गया था अथवा उस तारीख से जिस दिन संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट या दैनिक डायरी प्रविष्टि या सामान्य डायरी प्रविष्टि, के रूप में रिपोर्ट दर्ज की गई हो, जो भी पश्चातवर्ती हो।

3. किसी पैंशनभोगी के लापता होने की दशा में, कुटुंब पैंशन (बढ़ी हुई दर पर कुटुंब पेशन, जहां लागू हो, सहित) उस तारीख के अगले दिन से देय होगी जिस तारीख तक लापता होने से पहले पैंशनभोगी को पैंशन का भुगतान किया गया था अथवा उस तारीख से जिस दिन संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट या दैनिक डायरी प्रविष्टि या सामान्य डायरी प्रविष्टि, के रूप में रिपोर्ट दर्ज की गई हो, जो भी पश्चातवर्ती हो।

4. किसी कुटुंब पैंशनभोगी के लापता होने की दशा में, कुटुंब पैंशन उस तारीख के अगले दिन से देय होगी जिस तारीख तक लापता होने से पहले कुटुंब पैंशनभोगी को कुटुंब पैंशन का भुगतान किया गया था अथवा उस तारीख से जिस दिन संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना

रिपोर्ट या दैनिक डायरी प्रविष्टि या सामान्य डायरी प्रविष्टि, के रूप में रिपोर्ट दर्ज की गई हो, जो भी पश्चातवर्ती हो।

5. किसी सरकारी कर्मचारी के लापता होने या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त किए बिना लापता होने की दशा में, सेवानिवृत्ति उपदान की रकम सेवानिवृत्ति के पश्चात्, सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त किए बिना ही दिवंगत होने वाले सरकारी कर्मचारी की दशा में यथालागू रीति से तथा पात्रता शर्तों के अध्यधीन, कुटुंब के किसी सदस्य या सदस्यों को देय होगी।

6. कुटुंब पेंशन और उपदान के भुगतान के लिए दावे, कुटुंब पेंशन के लिए कुटुंब के पात्र सदस्य या सदस्यों और नामनिर्देशितियों अथवा उपदान की रकम प्राप्त करने के लिए पात्र कुटुंब के सदस्यों द्वारा, संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट या दैनिक डायरी प्रविष्टि या सामान्य डायरी प्रविष्टि के रूप में रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात् कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे। दावों के साथ फॉर्मेट 8 में एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड सहित संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई रिपोर्ट और पुलिस से प्राप्त इस आशय की रिपोर्ट कि इस विषय में किए गए सभी प्रयासों के बावजूद सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी का पता नहीं लगाया जा सका, प्रत्येक की प्रति संलग्न होगी।

7. कुटुंब पेंशन, (सेवानिवृत्ति उपदान का रकम और बकाया कुटुंब पेंशन सहित) का भुगतान, संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की तारीख से छह मास की अवधि बीतने से पूर्व नहीं किया जाएगा।

8. नियम 15 के उप-नियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट सरकारी कर्मचारी की दशा में, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की पूर्णत: पुष्टि के पश्चात् या पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराने की तारीख से सात वर्ष की अवधि के अवसान पर, जो भी पहले हो, मृत्यु उपदान देय होगा। मृत्यु उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान की रकम के बीच के अंतर का भुगतान, मृत्यु उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान की रकम के बीच के अंतर के लिए दावा प्रस्तुत करने की तारीख से तीन मास के भीतर, इन नियमों के अनुसार मृत्यु उपदान के भुगतान के लिए पात्र व्यक्ति या व्यक्तियों को संदत्त होगा।

9. कुटुंब पेंशन और सेवानिवृत्ति उपदान के अतिरिक्त, सरकारी कर्मचारी का कुटुंब, सरकारी कर्मचारी, जिसकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई हो, को यथालागू नियमों के अनुसार वेतन और भत्तों या अवकाश वेतन के बकायों, यदि कोई हो, अवकाश वेतन के समतुल्य नकद, सरकारी कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में उपलब्ध रकम भी प्राप्त करने का हकदार होगा।

10. उपर्युक्त उपबंध ऐसे सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी की दशा में लागू नहीं होंगे जो लापता हो गया हो और जिसके विरुद्ध धोखाधड़ी या गबन या किसी अन्य अपराध के आरोप की जांच चल रही हो या जिस पर ऐसे अपराधों का आरोप लगा हो या दोषसिद्ध किया गया हो।

11. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन लापता सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी के कुटुंब को कुटुंब पेंशन, उपदान, आदि की मंजूरी से संबंधित उपर्युक्त उपबंधों का, सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

विशाल

(विशाल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24644632

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 1/1(1))/2022-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 26.10.2022

Office Memorandum

Subject: Provisions regarding grant of family pension, gratuity, etc. to family of a missing Government servant or pensioner or family pensioner under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

2. In accordance with Rule 51 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021, in the case of a Government servant or a pensioner or a family pensioner, who goes missing, family pension is payable to a member or members of the family. On disappearance of a Government servant while in service, family pension (including enhanced family pension) is payable from the date following the date upto which leave was sanctioned to the Government servant before he went missing or from the date upto which pay and allowances have been paid to the Government servant or from the date on which a report has been lodged with the concerned Police Station in the form of First Information Report or a Daily Diary Entry or a General Diary Entry, whichever is the latest.

3. In the case of a pensioner who goes missing, family pension (including enhanced family pension, where applicable) is payable from the date following the date upto which pension has been paid to the pensioner who went missing or from the date on which a report was lodged with the concerned Police Station in the form of First Information Report or a Daily Diary Entry or a General Diary Entry, whichever is later.

4. In the case of a family pensioner who goes missing, family pension shall be payable from the date following the date upto which family pension has been paid to the family pensioner before he went missing or from the date on which a report was lodged with the concerned Police Station in the form of First Information Report or a Daily Diary Entry or a General Diary Entry, whichever is later.

5. In the case of a Government servant who goes missing or a retired Government servant who goes missing without receiving the retirement gratuity shall be payable to a member or members of the family in the manner and subject to the conditions applicable in the case of a Government servant who dies after retirement without receiving the retirement gratuity.

6. The claims for payment of family pension and gratuity are required to be submitted to the Head of Office by the member or members of the family eligible for family pension and nominees or members of family eligible to receive the amount of gratuity, after a report has been lodged with the concerned Police Station in the form of a First Information Report or a Daily Diary Entry or a General Diary Entry. The claims shall be accompanied by an Indemnity Bond in Format 8 along with a copy each of the report lodged with the concerned Police Station and the report obtained from the police to the effect that the Government servant or pensioner or family pensioner could not be traced so far despite all efforts made in that regard.

7. The payment of family pension (including the arrears of family pension and the amount of retirement gratuity) shall not be made before the expiry of a period of six months from the date of lodging of report with the concerned Police Station.

8. In the case of a Government servant referred to in clause (a) of sub-rule (1) of Rule 51, death gratuity shall become payable after the death of the Government servant is conclusively established or on expiry of a period of seven years from the date of lodging of the report with the police, whichever is earlier. The difference between the amount of death gratuity and retirement gratuity shall be paid to the person or persons eligible for payment of death gratuity in accordance with these rules, not later than three months from the date of submission of claim for difference between the amount of death gratuity and retirement gratuity.

9. In addition to the family pension and retirement gratuity, the family of the Government servant shall also be entitled to receive arrears of pay and allowances or leave salary, if any, cash equivalent to leave salary and amount available in the General Provident Fund Account of the Government servant in accordance with the rules as applicable to a Government servant who dies during service.

10. The above provisions are not applicable in the case of a Government servant or a pensioner or a family pensioner who disappears and against whom allegation of fraud or embezzlement or any other crime is under investigation or who has been charged or convicted for such crimes.

11. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding grant of family pension, gratuity, etc. to family of a missing Government servant or pensioner or family pensioner under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(Vishal Kumar)
Under Secretary to Government of India
Tel: 24644632

To

All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list).-